मछली पालन और मछुआरों पर राष्ट्रीय नीति

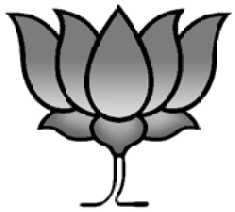

भारतीय जनता पार्टी

प्राक्कथन

मत्स्य और मछुआरों पर भारतीय जनता पार्टी के इस नीति-पत्र को प्रस्तुत करते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है।

लाखों लोग अपनी जीविका के लिए मछली पालन पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान अहम है और इसमें संभावनाएं भी अपार हैं, जिनका दोहन जरूरी है। इस विषय में यह नीति-पत्र पार्टी के मूल विश्वास और प्रतिबद्धता का द्योतक है। यह समाज के सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार की हमारी प्राथमिकताओं को भी रेखांकित करता है। मौजूदा सरकार के कुप्रबंधन के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इस विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र और आबादी के हर वर्ग पर ध्यान देना अपेक्षित है।

भाजपा के मछुआरा प्रकोष्ठ ने श्री मुरलीधर राव और श्री प्रकाश मालगवे के नेतृत्व में मछुआरा समुदाय के नेताओं और विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस नीति-पत्र को तैयार करने के लिए काफी मेहनत की है। मैं इन्हें इस उपयोगी काम के लिए बधाई देता हूँ। यह नीति-पत्र मछुआरा समुदाय के विकास और देश की अर्थव्यवस्था में मत्स्य-क्षेत्र के योगदान को अत्यन्त गम्भीरता से द्योतित करता है।

नितिन गडकरी
राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी

भूमिका

मछली पकड़ना एक बड़ी आबादी के जीविकोपार्जन का प्राचीन माध्यम रहा है। सदियों से ये पारंपरिक व्यापार रहा है। इससे समुद्र तटों के आसपास और देश के भीतर कई समुदायों को मदद मिलती रही है। ये रोजगार और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक बड़ा साधन है। कृषि और हथकरघा के बाद जीविकोपार्जन देने वाला ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। लेकिन अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, निर्यातोन्मुखी व्यवस्था, मशीन से मछली पकड़ने और एक्वाकल्चर की वजह से पारंपरिक मछुआरों पर दबाव काफी बढ़ गया है।

अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से तीन तरफ समुद्र से घिरे इस देश के लिए मत्स्य क्षेत्र की अहमियत बहुत ज्यादा है। देश में कई नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। संसाधनों की इस विविधता के मद्देनजर मत्स्य क्षेत्र को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है- समुद्र, देश के भीतर और खारे पानी। इन तीनों के लिए अलग तरह के प्रबंधन की जरूरत है।

इस क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें मुख्य रूप से मछलियों का अधिकाधिक दोहन, सीमित संसाधन और जलवायु परिवर्तन। इस वजह से 90 फीसदी से ज्यादा मछुआरे गरीबी रेखा से नीचे हैं। पर्यावरणीय कारक, जैसे घटते जल संसाधन, पारिस्थितिकी का प्रदूषित होना और कई प्रजातियों के विलुप्त होने से पारंपरिक मछुआरा जाति की जीविका को बहुत हद तक प्रभावित किया है। कर्ज सुविधाओं की कमी, नीति-निर्माण में खामियां, सहायता योजनाओं को लागू करने में गड़बड़ियां और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से ये समस्याएं और भी बढ़ गई हैं।

इस क्षेत्र की पौषकीय, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए तुरंत इस क्षेत्र के लिए एक वृहद् नीति बनाने की जरूरत है जो सबसे पहले मछुआरा समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखे।

पारंपरिक मछुआरे न सिर्फ उपेक्षा के शिकार हैं, बल्कि उनके फायदे के लिए बनाई गई नीतियों से उन्हें घाटा ही हो रहा है। वे कई तरह से वंचित हैं, मसलन आय में असमानता, गरीबी, भुखमरी और कुपोषण। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की वजह से मत्स्य संसाधनों में कमी हो रही है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, समुद्री जल का बढ़ता स्तर, घटते मैनग्रोव, प्रदूषण, आपदा प्रबंधन की अपर्याप्त सुविधाएं भी इसमें कारक हैं। जल सीमा में अतिक्रमण, संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग, तट के पास जमीन अधिग्रहण जैसी वजहों से पारंपरिक मछुआरा समुदाय परेशानी में है। सरकारी विभागों के समन्वित रूप से काम नहीं करने की वजह से भी मछुआरा समुदाय की दिक्कतें कई गुना बढ़ गई है।

तटीय गांवों में दो करोड़ से अधिक आबादी मछली मारकर अपनी जीविका चलाती है। महिलाओं सहित इस क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या के मद्देनजर यह क्षेत्र कृषि और हथकरघा के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इस समुदाय के पारंपरिक ज्ञान का फिलहाल बहुत कम उपयोग हो रहा है। वर्तमान में भारत मूल्य के आधार पर समुद्री उत्पादों का 27वां और वजन के हिसाब से 23वां बड़ा निर्यातक है। संपत्ति निर्माण, रोजगार, खाद्य सुरक्षा आदि के लिहाज से इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। केंद्र सरकार ने तटीय नियमन जोन कानून का मसौदा पेश किया है, जिस पर मछुआरों से विस्तार से बातचीत करने की जरूरत है।

समुद्री इलाकों के अलावा मछुआरों का एक बड़ा तबका देश के भीतर नदियों और तालाबों पर निर्भर हैं जिनके लिए भी सरकारों के पास कोई नीति नहीं है। औद्योगीकरण के कारण पहले से ही इस व्यवसाय पर भारी दबाव है। इस व्यवसाय में लाखों लोगों के लगे-रहने के बावजूद न तो कोई इनके लिए आधारभूत संरचना है और न ही वित्तीय योजना। वर्तमान नीतियां उद्योगों को ध्यान में रखकर इनकी उपेक्षा ही कर रही हैं।

इस नीति-पत्र का मकसद भारतीय मत्स्य उद्योग की वर्तमान स्थिति और मछुआरा समुदाय की समस्याओं को उजागर करने का एक विनम्र प्रयास है। मेरा मानना है कि यह पत्र नीति निर्माताओं और इससे जुड़े दूसरे लोगों और संस्थानों की समझ बढ़ाने में कारगर होगा और मत्स्य उद्योग और मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए नीति बनाने में मदद मिलेगी।

पी. मुरलीधर राव
राष्ट्रीय मंत्री
भारतीय जनता पार्टी

अनुक्रमणिका

1.	राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में भाजपा की दृष्टि	9
2.	मछली पालन एवं मछुआरों पर भाजपा के प्रस्ताव	18
3.	मात्स्यिकी और मछुआरे: भारतीय स्थिति	24
4.	निष्कर्ष और सुझाव	56

1

राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में भाजपा की दृष्टि

भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए मत्स्य क्षेत्र अतिमहत्त्वपूर्ण है। लाखों लोगों के लिए मत्स्य पालन पारंपरिक रोजगार है। इससे कई समुदायों को रोजगार मिलता है। इनमें समुद्र के किनारे और देश के भीतरी हिस्सों में रहने वाले लोग शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

विशाखापट्टनम और मैंगलोर में हुए सम्मेलन के बाद इस नीति पर काम शुरू हुआ। इन सम्मेलनों में भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के मत्स्य उद्योग के प्रतिनिधि और मछुआरे शामिल हुए। इसके बाद तीसरा सम्मेलन वाराणसी में हुआ, जिसमें ताजे पानी में मछली मारने वाले मछुआरे शामिल हुए।

- प्रत्येक सम्मेलन में 1,000 लोग शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य विषय मछुआरे और मत्स्य उद्योग के मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करना था।
- नीति बनाने वाले समूह ने इस क्षेत्र के विशेषज्ञ, कोपरेटिव, राजनीतिक पदाधिकारियों से मुलाकात कर इस क्षेत्र के लिए नीति-पत्र तैयार किया। इसे फिर विशेषज्ञों के पास उनकी राय और सुझाव के लिए भेजा गया। फिर पीएफएजी के विचारार्थ एक नीति-पत्र तैयार किया गया।

भाजपा ने एक मछुआरा सेल बनाया और राष्ट्रीय सचिव पी मुरलीधर राव को एक विस्तृत मसौदा तैयार करने को कहा।

इसके लिए तीन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। पहला विशाखापट्टनम में पूर्वी तट के मछुआरों के लिए, पश्चिमी तट के मछुआरों के लिए दूसरा बैंगलोर (कर्नाटक) में और तीसरा देश के भीतर के मछुआरों के लिए वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में। इसके अलावा राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बिहार के दरभंगा और झारखण्ड के जमशेदपुर में इसके आयोजन की शृंखला भी प्रारंभ की गयी।

यह फैसला हुआ कि एक विस्तृत राष्ट्रीय नीति की जरूरत है ताकि मत्स्य क्षेत्र के विकास और मछुआरों की बेहतर जिंदगी के लिए काम कर रहे नीति बनाने वालों के सामने एक खाका पेश किया जा सके।

प्रमुख बिन्दु

- मत्स्य उद्योग और मछुआरों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।
- राजनीतिक नजरिए से, यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि और हथकरघा क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा लोग मत्स्य क्षेत्र में लगे हुए हैं।
- केरल और तमिलनाडु को छोड़कर 80 प्रतिशत मछुआरे हिन्दू हैं। केरल और तमिलनाडु में अधिकांश मछुआरे ईसाई हैं।
- मछुआरा समुदाय लगभग अलग-थलग और चुपचाप रहने वाला समुदाय है। इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जनजाति वर्ग में आता है।
- मछुआरा समुदाय सर्वाधिक उपेक्षित समुदाय है, जबकि खाद्य-शृंखला में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।
- ये समूह में रहने वाली जाति है, न कि अलग-थलग। इनमें से 80 प्रतिशत के पास पक्का मकान नहीं है।
- अधिकतर के पास जमीनों के कागजात नहीं हैं, जहाँ वे कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं।
- पुडुचेरी में पांच नावों के लिए कर्ज दिया जाता है। इसके अलावा मछुआरा समुदाय के 85 प्रतिशत लोगों के पास बैंक या कर्ज की सुविधा नहीं है।

- ये बड़ी लागत वाला क्षेत्र है, जहाँ महिलाएं मार्केटिंग और प्रोसेसिंग में लगी हैं, जबकि पुरुष समुद्र में मछली पकड़ने या फिर जाल बुनने और उसकी मरम्मत में लगे हैं।
- इस समुदाय के पास आधारभूत संरचना, जैसे कि मछली सुखाने की जगह और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं नहीं हैं।
- यहाँ तक कि इस क्षेत्र में को-ऑपरेटिव सेक्टर भी नहीं हैं।
- इस क्षेत्र में ट्रॉलर से मछली पकड़ने का काम मछुआरा समुदाय से बाहर के लोग करते हैं और मछली मारने या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से इस समुदाय की जीविका पर असर पड़ रहा है। इससे संसाधनों में कमी आ रही है।
- समुद्र तट पर विशेष आर्थिक क्षेत्र, पोर्ट और बिजली परियोजनाएं लगने से मछुआरे और मत्स्य उद्योग को इस क्षेत्र में भारी नुकसान हो रहा है। सिर्फ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में ही तट के पास 50 बिजली परियोजनाएं लग रही हैं, जहाँ कोयला और राख से मछुआरों की जीविका और इस क्षेत्र पर असर पड़ेगा।
- सामान्य फीडबैक के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में मछली उत्पादन में 40 से 70 प्रतिशत तक की कमी आई है। इससे मछुआरों के कई गांवों में हजारों लोगों और उनके परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है।
- इनकी संख्या महत्वपूर्ण होने और राजनीतिक अहमियत के बावजूद देश के किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में ये लोग नहीं हैं।
- इस क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय नीति न सिर्फ लंबे समय से इनके कल्याण के लिए अपेक्षित है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए, खासकर तटों को ध्यान में रखते हुए भी जरूरी है।
- कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक और बिहार ने इनके फायदे के लिए नीतियां बनाई हैं। तालाबों की समस्या के समाधान में इनको प्राथमिकता दी गई है।

मछुआरा समुदाय के लिए कल्याण योजनाएं

मछुआरा समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पीने का साफ पानी, संचार और सूचनाओं तक पहुंच के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के मुख्यत: तीन मुख्य हिस्से हैं -

1. **मछुआरों के मॉडल गांव का विकास** – घर, पीने का पानी और सामुदायिक हॉल के निर्माण में बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। हर 20 परिवार पर एक ट्यूब वेल तथा एक घर के लिए 30 हजार रुपये का प्रावधान होना चाहिए। हर 75 घर पर एक कम्यूनिटी हॉल होना चाहिए, जिस पर 1,75,000 प्रति यूनिट खर्च किए जा सकते हैं। घर बनाने के लिए 40,000 प्रति यूनिट उपलब्ध हैं।
2. **तकनीक** – केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मत्स्य उद्योग के लिए डाटाबेस और सूचनाओं का नेटवर्क तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य (1) देश के भीतर और समुद्री मछलियों का डाटाबेस तैयार करना और आंकड़े जुटाने के मानक तौर-तरीकों को अपनाकर मछली पकड़ना, तथा (2) राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों समेत राष्ट्रीय स्तर पर सूचना-तकनीक की स्थिति सुधारना है, ताकि आंकड़े जुटाकर उनका आसानी से विश्लेषण किया जा सके। इसमें समुद्री क्षेत्रों और देश के भीतर मछली पकड़ने पर सर्वे करना, इसमें भौगोलिक सूचनाओं का विकास तथा समुद्री और देश के भीतर मछलियों की जनगणना आदि शामिल हैं। इसके लिए 45 करोड़ का बजटीय प्रावधान है।
3. तीसरी योजना में समुद्री मत्स्य उद्योग का विकास, पारम्परिक नावों का मोटरीकरण और एचएसडी ऑयल पर केन्द्रीय एक्साइज ड्यूटी का फिर से भुगतान, ताजे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देना, समेकित तटीय मछली पालन, नेशनल वेलफेयर ऑफ फिशरीज, बड़े और छोटे बंदरगाहों पर फिशिंग हार्बर सुविधा, मत्स्य से जुड़ी ट्रेनिंग और इन्हें बढ़ाना जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

2005 में भारत सरकार ने समुद्री मछलियों की जनगणना करायी। साथ ही मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजनाओं के प्रभाव का आकलन भी हुआ। ये सर्वे नाबार्ड के कन्सल्टेंसी सर्विसेज ने किया। सर्वे में दिशा-निर्देश में बदलाव का सुझाव दिया गया।

सितम्बर, 2006 में नेशनल फिशरीज डवलपमेंट बोर्ड (एनएफडीबी) की हैदराबाद में स्थापना की गई। इसका मकसद मत्स्य क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाना था। इसका बजट 30 करोड़ था।

द नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन को-ऑपरेटिव लिमिटेड एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई। यह कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक

नियंत्रण में काम करता है। इसका मकसद सहकारिता के जरिए मछली उद्योग को बढ़ावा देना है। पिछले तीन वर्ष में संगठन को 4.37 करोड़ दिए गए हैं।

वंचित मछुआरे

1. **आय में असमानता** – मत्स्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में आय में खासा अंतर है। मशीनी सेक्टर में प्रति व्यक्ति हर साल 3,701 किलो मछली पकड़ता है जबकि मोटर सेक्टर में यह 1,320 किलो और गैर-मशीनी क्षेत्र में ये 408 किलो है। इससे पता चलता है कि देशी सेक्टर कितना पिछड़ा है।
2. **गरीबी और कुपोषण** – एफएओ की 2001 की रिपोर्ट के मुताबिक विशुद्ध रूप से आय के मामले में छोटे स्तर के मछुआरे को अधिकतर मामलों में छोटे किसान या खेतिहर मजदूर के साथ रखा जा सकता है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा राजनीतिक फैसले आदि की हिस्सेदारी में छोटे स्तर के मछुआरे सबसे निचले पायदान पर हैं।

   देश के पिछड़े क्षेत्रों में जितनी गरीबी है, उतनी ही समुद्री मत्स्य क्षेत्र में भी है। गरीबी रेखा से नीचे 60 प्रतिशत मछुआरे परिवार रहते हैं, जिसका राष्ट्रीय औसत 26 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। ऐसा कई कारणों से है, जिनमें कुछ ही महीने काम मिलना, असमानता, समुद्री संसाधनों का अधिकाधिक दोहन, प्रति व्यक्ति कम उत्पादन, कम आय और बेरोजगारी।

   गरीबी मिटाने के लिए किए जाने वाले कल्याणकारी उपाय कई बार गलत तरीके से किये जाते है। उदाहरण के लिए, बीपीएल मछुआरों को उनकी बोट के लिए सस्ता डीजल मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे मशीनी या मोटर वाली नावें खरीद सकें।
3. **नीतियों में कमी** – कई कल्याणकारी योजनाएं होने के बावजूद, जमीनी स्तर पर पारंपरिक मछुआरों की जगह बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचता है।

   देश के अंदर के मछली उद्योग को एक समान राज्यस्तरीय नीतियां चाहिए। वहीं संगठित बाजार भी होना चाहिए। तदर्थवाद की वजह से अधिकतर राज्यों में मछली उद्योग प्रभावित हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मछलियों के पैदा होने वाली जगह को बचाया नहीं जाता है। बढ़ता पानी प्रदूषण और बांधों के बनने से मछलियों के यहां-वहां जाने और उनके प्रजनन पर असर

पड़ा है। बांध में मत्स्य पालन के लिए नियमन नहीं है। गांवों में तालाबों की हालत और अधिक खराब है। ऐसा पेड़ों की कटाई, खारापन बढ़ने आदि कारणों से है। पर्यावरणीय कारणों से मछली के कुदरती भोजन में भी कमी आयी है।

इस क्षेत्र के महत्व और इस तथ्य के बाद कि इसमें कुल श्रमशक्ति का 4 प्रतिशत लगा हुआ है, सकल पूंजी निर्माण इस क्षेत्र में बहुत कम 0.5 प्रतिशत है। बजट आवंटन में इसका हिस्सा घटकर 2010-11 में 0.72 प्रतिशत हो गया।

गहरे समुद्र में मछली मारने की इसलिए आलोचना की जाती है कि इससे अंधाधुंध मछली पकड़ी जा रही है और पारंपरिक मछुआरों के लिए संसाधन कम हो रहे हैं। 1991 की 'डीप-सी-फिशिंग पॉलिसी' को आलोचनाओं के बाद वापस ले लिया गया। हालांकि इसकी जगह ऐसी नीति लायी गयी जिसमें सरकार वित्तीय आवंटन से इसे बढ़ावा दे रही है। गहरे समुद्र में पायी जाने वाली मछलियों का घटना अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। इसकी वजह मछली की विविधता और मछुआरों पर असर पड़ना है।

'द डीप शी कंजर्वेशन कोएलेशन' का मानना है कि ''वैज्ञानिक दस्तावेजों के मुताबिक डीप शी फिशरीज टीम मछलियों के खत्म होने की वजह है।'' रॉयल सोसायटी ऑफ ब्रिटेन की 2009 की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में डीप-सी फिशिंग के कारण गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां उस गहराई से भी नीचे चली गई हैं, जहां आम तौर पर मछली पकड़ने का काम होता है। द आईयूसीएन शार्क स्पेशलिस्ट ग्रूप ने नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में गहरे समुद्र में रहने वाली तीन मुख्य प्रजातियों की शार्क को खतरे में बताया है। साउथ पेसिफिक में न्यूजीलैंड में 137 ऐसी प्रजातियों को खतरे में बताया है। इन पर मछली पकड़ने के प्रभाव का आकलन नहीं हो पाया है।

यूरोपीय यूनियन को वैज्ञानिक सलाह देने वाले 'द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी' के मुताबिक ''गहरे समुद्र में मछलियां धीरे-धीरे विकसित होती हैं। लंबा जीती हैं और धीरे-धीरे बड़ी होती हैं। इन पर अधिकाधिक दोहन का दबाव है। इसमें लक्षित और गैर-लक्षित प्रजातियां शामिल हैं।''

अधिकतर हिस्सों में गहरे समुद्र में मछली मारने का काम गैर-टिकाऊ तो है ही, वहीं गहरे समुद्र में कम उत्पादकता की वजह से इसकी अर्थव्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। एफएओ की 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में समुद्रीय मछली उत्पादन का 0.3 प्रतिशत यानि 250,000 टन ही गहरे समुद्र में पकड़ा गया। इसकी कीमत 450 मिलियन डॉलर थी। 2007 में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्ययन के मुताबिक गहरे समुद्र में मछली मारने वाले ट्रालर्स प्राप्त करना बिना सरकारी सब्सिडी के लाभ का सौदा नहीं है।

इन सबके मद्देनजर, भारत को भी गहरे समुद्र में मछली मारने पर पुनर्विचार करना चाहिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में डीप-सी फिशिंग को बढ़ावा देने की बात है। वहीं मत्स्य उद्योग के विकास और प्रबंधन पर कार्य समूह ने डीप-सी के लिए नये लक्ष्य तय किये हैं।

एलओपी योजना में कई कमियां हैं। जिसमें पकड़ी गई मछली और उसकी कीमत नहीं बताने की सहूलियत भी है। इसके साथ ही गहरे समुद्र में मछलियों का ट्रांस-शिपमेंट, कस्टम विभाग को बिल नहीं देना आदि कमियां भी इसमें शामिल हैं।

इसमें मत्स्य प्रबंधन को लेकर तीन कमियां हैं - (क) औद्योगिक जहाजों को एलओपी में जोड़ने से भारतीय इइजेड में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ गई है, लेकिन इसका पता नहीं चल पाता है कि लक्षित स्टॉक कितना है और टिकाऊ उत्पादन क्या है? (ख) एलओपी में स्थानीय रोजगार, टिकाऊ जीविकोपार्जन के पीछे आय और खाद्य सुरक्षा जैसी बातों का पता नहीं चल पाता है। इस वजह से समुद्र की पारिस्थितिकी और मछलियों की संख्या में कमी आयी है। (ग) भारतीय इइजेड में कितनी मछलियां पकड़ी गई, इसका भी पता नहीं चलता है।

4. **शिक्षा और स्वास्थ्य** - मछुआरा समुदाय को सेवाओं की आपूर्ति बहुत कम है। सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं तटीय गांवों में धीरे-धीरे पहुंचती है। शिक्षा कम है जबकि कुपोषण ज्यादा।
5. **बढ़ता समुद्रीय स्तर** - इससे तटीय जनसंख्या के अलावा मछलियों और उनका उत्पादन भी प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन से तटीय खेती-बाड़ी

भी प्रभावित होंगी और जैव-विविधता पर भी असर पड़ेगा। समुद्र की पारिस्थितिकी बढ़ते तापमान और वातावरण में बढ़ते कार्बन-डाईऑक्साइड से दो-चार है।

6. **मैनग्रोव की क्षति** – जमीन और ऊर्जा के लिए मैनग्रोव को नष्ट किया जा रहा है। जबकि इससे समुद्र की पारिस्थितिकी को बचाने में कई तरह के फायदे तो हैं ही, साथ ही ये आर्थिक रूप से अहम मछलियों के लिए भी खास हैं। ये गहराई में सेडिमेंट्स से बचाते हैं, पानी के स्तर को नियंत्रित करते हैं और बहाव को दिशा देते हैं। आज चक्रवातों के दौरान मैनग्रोव को बचाने की कोई तैयारी नहीं दिखती है।

7. **प्रदूषण** – स्थायी और औद्योगिक गंदे पानी से समुद्र की उत्पादकता पर नकारात्मक असर पड़ता है। तटों पर औद्योगीकरण और ताप बिजली घर की वजह से मवेशी खत्म हो रहे हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में 50 किमी. लंबे तट पर 50 बिजली घर लगे हैं। यहां हर दिन 3,17,000 टन कोयला जलता है। लगभग 2000 टन सल्फर वातावरण में हर दिन जलता है। ये सीआरजेड के नियमों की अवहेलना है। ऐसी ही स्थिति उड़ीसा के पुरी-कटक तट पर है। मछलियों में कमी आने से इसका असर मछुआरों पर पड़ता है, कुछ मामलों में तो 70 प्रतिशत तक। इससे बड़े पैमाने पर लोग अपना घर-बार छोड़ रहे हैं।

8. **आपदा प्रबंधन** – मत्स्य पालन अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है। अतएव इसके लिए चक्रवात, बाढ़ या भूस्खलन के मामले में अग्रिम चेतावनी प्रणाली और बचाव, राहत, पुनर्वास जैसी अत्यावश्यक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की जरूरत है। व्यापक बीमा योजनाओं और सुरक्षा तंत्र को अधिक से अधिक लचीलापन बनाना इसके लिए आवश्यक है।

9. **अधिकाधिक मछली पकड़ना और टिकाऊपन** – विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत राज्य सरकारें सब्सिडी खत्म कर रही है, जिसका नतीजा मछलियों का अधिकाधिक दोहन हो रहा है, लेकिन वास्तव में छोटे जहाजों को सब्सिडी जारी है। छोटे बेड़े अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े प्रतिस्पर्धी हैं और अधिकाधिक मछली के दोहन के लिए जिम्मेदार हैं।

10. **तटों पर भूमि अधिग्रहण** – तटों पर विशेष आर्थिक जोन बंदरगाह, बिजली घर और दूसरे औद्योगिक कारणों से मछुआरे अपनी जड़ों से उखड़ रहे हैं। कई मामलों में अपर्याप्त या मुआवजा मिला ही नहीं। हालिया वक्त में तटों का औद्योगिकीकरण बढ़ा है और पुनर्वास नीति नहीं होने से मछुआरा समुदाय की मुसीबतें बढ़ी हैं। उनके जीविकोपार्जन का पारम्परिक जरिया और घर उजड़ने से सामाजिक तनाव बढ़ा है।

    सरकार के विभिन्न विभागों में तालमेल नहीं होने से मछुआरा समुदाय को बहुत हानि हुई है।

2

मछली पालन एवं मछुआरों पर भाजपा के प्रस्ताव

देश के भीतर के मछुआरों की बेहतरी के लिए भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी में 27 और 28 अगस्त, 2011 को सम्पन्न हुआ जिसमें निम्नलिखित फैसले लिये गये –

- हर राज्य में ताजे पानी की मछलियों के लिए एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए।
- खाने और घर के साथ-साथ पानी में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए सरकार रिसर्च को बढ़ावा दे और मछलियों की बीमारियों को नियंत्रित करे।
- सरकार मछली, रेत (बालू), कृषि उत्पाद जैसे मखाना और सिंघाड़ा को मछुआरों के अधिकारों के तौर पर मान्यता दे।
- को-ऑपरेटिव को ज्यादा काम करने लायक बनाया जाए और सरकार बाजार से सक्रिय भागीदारी और मजबूत सांगठनिक ढांचा तैयार करे।
- सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाए और यह तय करे कि इनका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा होगी।
- ताजे पानी के संसाधन के पास बीज उत्पादन केन्द्र का निर्माण किया जाए।
- सरकार मछली उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी दिखाए और स्थानीय प्रजातियों को बचाने के लिए कड़े उपाय करे।
- मछुआरे के पारंपरिक ज्ञान को किताब की शक्ल देने के लिए कोशिशें की जाए और सरकार यह तय करे कि इस ज्ञान को मत्स्य पालन और मछुआरा समुदाय के लिए उपयोग में लाया जाए।

पूर्वी तट के लिए भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन विशाखापट्टनम में 7-8 दिसम्बर, 2010 को हुई जिसमें निम्नलिखित मांगें रखी गईं -

मांगें

- कृषि की तरह मछुआरों के लिए भी राष्ट्रीय बैंकों से कर्ज की सुविधा मिले। कर्ज में फँसे मछुआरों के लिए कर्ज माफी की सुविधा प्रदान की जाए।
- समुद्र में मछली पकड़ने वालों के लिए बीमा सुविधा हो।
- मछली उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में नई तकनीकों को मछुआरा समुदाय तक पहुंचाने की विशेष कोशिश हो।
- पार्किंग खण्ड, घाटों, मछली लैंडिंग और सुखाने की सुविधा, कोल्ड स्टोरेज, वितरण केन्द्रों तथा सड़क संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं मछुआरों को प्रदान की जाए।
- मछली पकड़ने में लगे लोगों को बेरोक-टोक समुद्र में जाने की सुविधा प्रदान की जाए।
- मछुआरों के लिए विकास योजना को ध्यान में रखकर भूमि अधिग्रहण। विशेष परिस्थितियों में उन्हें लंबे समय तक लाभ मिले।
- समुद्र में मछली पकड़ने वालों को तटरक्षक बल सुविधा दी जाए।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में मछुआरों के हितों को ध्यान में रखा जाए।
- औद्योगिक कचरे को समुद्र में बहाने से रोकने के लिए कड़े उपाय किये जाएं।
- भारत सरकार तमिलनाडु के उन मछुआरों की मदद करे जो श्रीलंका से प्रभावित होते हों।

पश्चिमी तट के लिए भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन, 29-30 अप्रैल, 2011 मैंगलोर (कर्नाटक) में सम्पन्न हुआ जिनमें निम्नलिखित प्रस्तावों पर सहमति बनायी गयी -

प्रस्ताव

- राष्ट्रीय स्तर पर मछुआरों के पारंपरिक हितों की रक्षा के लिए 'राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति' बने। हमारे यहां राष्ट्रीय कृषि नीति, कपड़ा नीति, आदिवासी

के अधिकारों के लिए नीतियां हैं। अतएव इस क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए और मछुआरों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए भी इसकी जरूरत है।

- हमारे यहां लम्बा तटीय क्षेत्र है, नदियां, तालाब और झील हैं। इनमें मछलियों का उत्पादन होता है और एक बड़ी आबादी इस पर निर्भर है। इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र और राज्य सरकार इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाए। यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब हमारे यहां कृषि मंत्रालय के पास ढेरों काम हैं।
- 27 सितंबर, 1997 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर मुरारी समिति के सुझावों को लागू किया जाए।
- पाकिस्तान से मछुआरों को छुड़ाने के लिए बातचीत के लिए साझा तंत्र बनाया जाए। इससे बचने के उपाय भी खोजे जाएं।
- मछुआरों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले आईसक्रीम और कोल्ड स्टोरेज को बिजली से छूट दी जाए। ये मत्स्य व्यापार के लिए बहुत जरूरी सुविधाएं हैं और इन्हें भी कृषि की तरह ही माना जाना चाहिए।
- हर साल मई से अगस्त के बीच सभी तटों पर मशीन से मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए।
- किसानों की तरह मछुआरों को भी 4 प्रतिशत की दर पर कर्ज मिले।
- किसानों और बुनकरों की तरह ही मछुआरों के कर्ज भी माफ हों।
- मत्स्य आश्रय योजना के अन्तर्गत 60 हजार की जगह एक लाख का कर्ज मिले।
- मछली पकड़ना जोखिम का व्यापार है, इसलिए केन्द्र और राज्य सरकार बीमा की व्यवस्था करे।
- मार्केटिंग यार्ड बनाने जैसी गतिविधियों से युक्त बाजारों को अपग्रेड किया जाए। भारतीय मछुआरों की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर नए फिशिंग हार्बर बनाने का काम युद्धस्तर पर शुरू किया जाए।
- मछुआरों के गांवों में भूमि अधिग्रहण होने पर उन्हें समुचित मुआवजा मिले और विस्तृत पुनर्वास पैकेज दिया जाए।
- समुद्र में गिराने से पहले औद्योगिक कचरे को पूरी तरह साफ किया जाए। इस लिहाज से बिना किसी देरी के राष्ट्रीय स्तर पर एक कड़ा कानून बनाया जाए और कठोरता से लागू किया जाए।

- गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मछुआरों को तटरक्षक बल सुरक्षा दें।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों से समझौता करते वक्त मछुआरों के हितों का ख्याल रखा जाए।
- सभी मछुआरों को सरकार पहचान पत्र दे।
- केन्द्र और राज्य सरकारें मत्स्य प्रशिक्षण के लिए नए संस्थान खोलें।
- एचएसडी तेल पर मछुआरों को मिलने वाली छूट 1.50/- रुपये से बढ़ाकर 3/- रुपये की जाए। हालांकि इसे बीपीएल परिवार तक सीमित करना और एक नाव पर हर महीने 500/- रुपये देना मछुआरों के हितों के खिलाफ है। इसलिए हम मांग करते हैं कि दोनों शर्तें तुरन्त वापस ली जाए। इसी प्रकार, डीजल पर 1.50/- रुपये का सड़क टैक्स मछुआरों से वसूलना भी छोड़ दें क्योंकि नाव सड़कों पर नहीं चलती हैं।
- घर बनाने के लिए सरकार मुफ्त में जमीन दे।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति पर समीक्षा समिति की रिपोर्ट

- मछली पकड़ने के लिए जारी किए गए परमिट तुरन्त रद्द किए जाएं और ऐसा कानूनी प्रक्रिया के तहत हो।
- ज्वाइंट वेंचर/चार्टर/लिस्ट/टेस्ट के मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए नए लाइसेंस/परमिट जारी नहीं किए जाएं।
- सभी लाइसेंस/परमिट को सार्वजनिक दस्तावेज बनाया जाए और चाहने पर इन्हें जांच के लिए उपलब्ध कराया जाए।
- जिस क्षेत्र में पारंपरिक जहाजें या 20 मीटर से छोटी मशीनी जहाजें मछली पकड़ चुकी हैं या निकट भविष्य में वहां ऐसा होने वाला है तो इस क्षेत्र में 20 मीटर से बड़े जहाज को अनुमति नहीं दी जाए। सिर्फ उन जहाजों को अनुमति दी जाए जो तीन साल से ये काम कर रहे हैं।
- चूंकि 20 मीटर से कम की भारतीय मशीनी नावों में 70-90 मीटर तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता है, पश्चिमी तट पर तट से 150 मीटर गहराई वाले क्षेत्र में 20 मीटर से बड़ी नावों को जाने की अनुमति दी जाए, सिर्फ उन्हें छोड़कर जिनका उल्लेख ऊपर के पारा-4 में हुआ है। 150 मीटर गहराई वाले क्षेत्र तट से 100 नॉटिकल मील दूर है तो ये दूरी सिर्फ भारतीय जहाजों के लिए आरक्षित की जाए। पूर्वी तट पर

कन्याकुमारी तट से शुरु होकर सिर्फ 20 मीटर वाले भारतीय जहाजों को 100 मीटर की गहराई या 50 नॉटिकल मील तक जाने की अनुमति हो। यहां भी उपर्युक्त पारा-4 की छूट को सम्मिलित किया जाए। गहराई जोन को भी तट से दूरी के हिसाब से नापा जाए। दूरी मापने का काम नेशनल हाइड्रेग्राफिक ऑफिस/तटरक्षक बल/मत्स्य सर्वे ऑफ इंडिया को दिया जाए।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में तट से 50 नॉटिकल मील की दूरी विशेष रूप से 20 मीटर से तट तक के भारतीय जहाजों के लिए आरक्षित की जाए। अगर जरूरत पड़े तो द्वीपों के बीच के पानी को भी आरक्षित किया जा सकता है। बशर्ते कुछ क्षेत्र 50 नॉटिकल मील से भी आगे जाते हों।
- जो क्षेत्र 20 मीटर से बड़े जहाजों के लिए खुले हैं, उन्हें समुद्र में विशेष प्रजातियों की मछलियों को पकड़ने की अनुमति दी जा सकती है और ये सिर्फ भारतीय जहाजों के लिए हो। इन जहाजों के मालिकों के पास 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी हो।
- अलग-अलग तरह के क्षेत्रों के लिए बेड़े का आकार अधिकतम टिकाऊ उत्पादन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। वहीं संसाधनों के संरक्षण की भी जरूरत है।
- अपने जल क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों को बचाने, मछुआरों को बचाने और समुद्र में विवाद रोकने के लिए संसद को मछुआरा समुदाय से बात कर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।
- पारंपरिक, छोटे मशीन और बड़े जहाजों के बीच विवाद रोकने के लिए तटरक्षक बल कड़ी चौकसी रखें। इस उद्देश्य के लिए तटरक्षक बलों को मजबूत किया जाए, उनका विस्तार हो, तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जाए, नेविगेशन की उन्नत तकनीक दी जाए, निगरानी और हथियार दिए जाएं ताकि वे विदेशी जहाजों द्वारा अगवा करने की वारदातों को रोक सके। अगर तटरक्षक बल ये सब नहीं कर सकता है तो केन्द्र या राज्य सरकार को किसी दूसरी एजेंसी पर ये जिम्मेदारी देनी चाहिए।
- सरकार पारंपरिक मछुआरों को आसानी से कर्ज देने, उनकी तकनीकी क्षमता सुधारने के लिए काम करे। ऐसा ही मशीनी नावों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय जहाजों के लिए भी किया जाए। इन्हें ड्यूटी में भी छूट दी जाए।

- पारंपरिक और मशीनी नावों को ईंधन की समुचित और स्थायी आपूर्ति की जाए। इनमें एचएसडी और मिट्टी का तेल भी शामिल है।
- सभी तरह की समुद्री मछलियां एक मंत्रालय के तहत लाये जाएं। सरकार दूसरे देशों की तरह यहां भी फिशरीज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करे। इसे नीतियां बनाने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी दी जाए।
- फिशरीज सर्वेक्षण ऑफ इंडिया को भी तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए। यहां नई तकनीक और उपकरण लाये जाएं ताकि हर तरह की मछलियों के क्षेत्र का पता चले और पारिस्थितिकी में बदलाव का पता लगाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग एजेंसी में पूरा समन्वय हो।
- मस्त्य संसाधनों को बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार बुनियादी सुविधाएं विकसित करे। इसका हल कोल्ड स्टोरेज की शृंखला बनाकर, आइस फैक्ट्री, फिश प्रोसेसिंग सुविधा, फिश मिल और मछलियों के खाद्य पदार्थ बनाने वाले कारखाने लगाकर किया जा सकता है। इससे मछुआरों और उनकी को-ऑपरेटिव को फायदा होगा।
- पूर्वी और पश्चिमी तट समेत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में फिश हार्बर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएं और पुराने फिश हार्बर को उन्नत बनाया जाए।
- मछुआरों और इस काम में लगी महिलाओं तथा उनकी को-ऑपरेटिव को वित्तीय मदद दी जाए ताकि वे बड़े जहाज खरीद सके।
- सरकार मछुआरों और इस काम में लगी महिलाओं की प्रशिक्षण की व्यवस्था करे ताकि वे नए उपकरणों का उपयोग सीख सके, बड़े जहाज चला सकें और मछली प्रोसेसिंग गतिविधियां चला सकें।
- सरकार औद्योगिक कचरे की समस्या से सख्ती से निपटे ताकि समुद्री विविधता बची रह सके।
- सरकार समिति के सुझावों पर 6 महीने की अवधि में फैसला करे।
- गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से संबंधित नीति की हर 35 साल पर समीक्षा करे।

3

मात्स्यिकी और मछुआरे: भारतीय स्थिति

भारतीय तट की भौगोलिक स्थिति

भारत का अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री तट पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश से लगा है। देश की सीमा श्रीलंका से पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से अलग होती है। 2.02 मिलियन वर्ग किमी. के विशेष आर्थिक जोन को मिलाकर भारत की समुद्री तट 7516 किमी. का है। साफ पानी के स्रोत करीब 1.95 लाख किमी. है। पूर्वी समुद्री तट में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं।

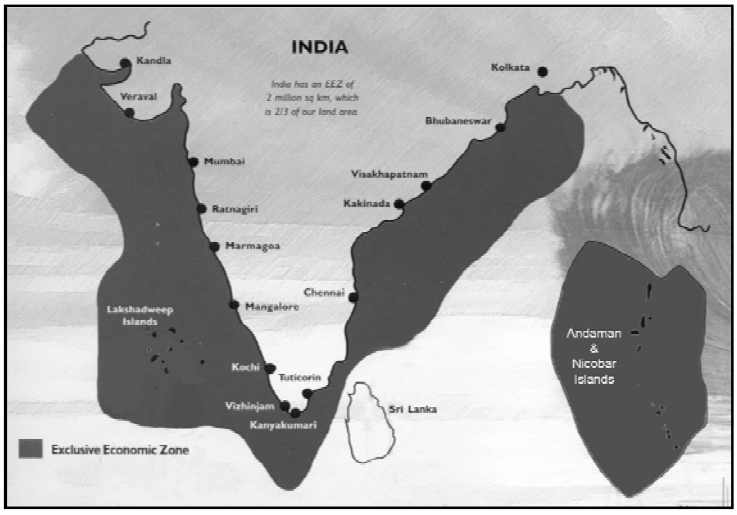

ईईजेड क्षेत्र	–	2.02 मिलियन वर्ग किमी.	
पश्चिमी तट	–	0.86 मिलियन वर्ग किमी.	(42.5%)
पूर्वी तट	–	0.56 मिलियन वर्ग किमी.	(27.79%)
अंडमान और निकोबार	–	0.60 मिलियन वर्ग किमी.	(29.54%)

पश्चिमी तट पर गुजरात, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। पूर्वी समुद्री तट कुल समुद्र तट का 57.5 प्रतिशत यानि 0.56 मिलियन किमी. है। वहीं पश्चिमी तट 42.5 प्रतिशत यानि 1.5 मिलियन किमी. है।

मछुआरा समुदाय

समुद्री तटों पर 3500 गांव हैं जहां मछुआरा समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें 7,56,212 परिवार रहते हैं और इनकी आबादी 50 लाख है। इनमें से 25.7% (8,89,528) सक्रिय और 7,17,999 पूरी तरह मछली मारने का काम करते हैं। कुल मिलाकर, 46.8% लोग मछली मारने या इससे जुड़े रोजगार में लगे हैं।

पुरुषों के बीच, मछली मारने से जुड़े काम में मजदूर (39.2%) जाल बुनने (28.6%) और विपणन में (14%) लोग लगे हुए हैं। महिलाओं में अधिकतर विपणन में (41.8%), मजदूर (18.4%), प्रोसेसिंग (18%) लगे हैं। महिलाएं अधिकतर मछली बेचने (73.6%) लगी हुई हैं, जबकि पुरुषों में अधिकतर जाल ठीक करने और जाल बेचने (80%तक) में लगे हैं। वहीं मजदूर (69.5%) है।

जातिगत

अलग-अलग राज्यों में मछुआरा समुदाय की श्रेणियां अलग-अलग हैं। इनमें से अधिकतर पिछड़ी जातियों से तो कुछ इलाके दलितों और आदिवासियों के भी हैं जिन्हें दलित/आदिवासियों को दी जाने वाली आरक्षण सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जो वंचित रह गये हैं उनमें असंतोष व्याप्त है।

इस विसंगतियों को दूर करने के लिए आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण कराकर सभी को आरक्षण सुविधा दिये जाने की आवश्यकता है।

राज्यवार सूची

आंध्र प्रदेश – अंगीकुला, क्षत्रिय, बेस्ठा, बेस्थार, गंगपुत्र, गंगवार, गोंदला, कोराचा, नय्याला, पट्टापा, पाली, जलक्षत्रिय और वेंकुला क्षत्रिय (यान्नकपु, वन्नी, रेडी, पल्ली कपु और पली रेड्डी)।

असम – भोई, मल्लाह, झालो मालो, झालो, मालो, मालाकार, नायशूद्र, काईबर्ता, पटनी और कोटल।

बिहार – बानपार, बिंद, चांय, धिमार, धीमर, धीवर, धेवर, गोदिया, गोंड, गोरही, गरिया, गुरिया, राज गोंड, केवट क्योट, खारवार खैरवार खेरवार, खागी, काईबरता, कहार, कोल्हा, मांझी, मांझी मंझवार, निशाद, सोरैहिया, तैयर, त्यार, तियार और मल्लाह।

दिल्ली – कश्यप, धिमर, धीमर, धिनवार, धेवर, केवट, कीओट, निषाद, गोदिया, गोंड, राज गोंड, कहार, झीमर, झिनवार, झीवर, झिर, झीर, मल्लाह, तुराह, तुराहा, तुरेहा और तुरैहा, मेहरा।

गोवा – नायक

गुजरात – भोई, धिनवार भोई, गरहार भोई, खादी भोई, खासे भोई, झिंगा भोई, परदेशी भोई, राज भोई, धीवर, धीमर धिमर, धिवर, धेवरा, गोंड, राज गोंड, कोली, महादेव कोली, मल्हर कोली, दोंगर कोली, कोल्चा, कोल्गा, तोकरे कोली, किरात, कीर, केवट, केवाट, कहार, धुरिया कहार, गोंदिया कहार, खैरवार, मल्लाह, मल्लार, मछेन्द्र, मछवा, निषाद, टिंडेल, पलेवर और मछियारस, खारवास और कोलिस।

हरियाणा – धीमर, झीमर, कहार धीमर, झिनवार, मल्लाह धीवर, झीवर और झिरधेवर झीर, मेहरा, कश्यप।

हिमाचल प्रदेश – धीमर, झीमर, कहार धीमर झिनवार, मल्लाह धीवर, झिवार और झिरधेवर झीर, मेहरा, कश्यप, राजपूत।

जम्मू और कश्मीर – धीमर, झिमर, कहार धीमर, झिनवार, मल्लाह धीवर, झिवार और झिरधेवर झीर, कश्यप, राजपूत।

केरल – धेवरा (आर्य, वाला, मुक्कुवा, मुकाया, भोई, मुलाया, अरावतीमले अराया), मीनुगरा, मनिगरा और मोगेरा, मुक्कुवार, अन्जूटी, धीवेरा और पोइसलन।

कर्नाटक – अंबिगा, मुक्कुवेना, बेस्था, बेस्थार मुक्कुवरे, बुन्दे, बेस्थार, मुकायार, भारिका, बरिकार, माराकुला, भोयी, भोवि, बोवि, मोगेरा, भीष्माकुला, मेलान्ता, गंगापुत्र, मेद्देरा, गंगाकुला, मचिदा, गंगे मक्कालु, मछिमार, औरीमाथा, मचाला, गंगारस्सूर, मचावा, गोनि कारा, गोंड, राज गोंड, मुदिराजा, गंगामाथु, नायका,

हरिकान्थरा, नायकारा, जलगेरा, नायका, कब्बेर, कब्बेरा, नीरागन्ती, कोराच, नलेकेरा, कोलि, परिवार, परेवार, काहर्, सुनागरा, कब्बालिगा, सेफालिगा, खेरवि, सूथकुला, मीनुगरा, मनिगरा, थोरेया, मोगावीरा, वनयेकुला, क्षत्रिया (वन्नेकपु, वन्नेरेद्दी, पल्लि रेड्डी), सिवियार और सिवईर मोगावीरास।

मध्य प्रदेश – धिमर, धीमर, कश्यप, धीवर, धेवर, देवार, भोई (झिंगा), गोदिया, गोंड, गरिया, गुरिया, राज गोंड, केवट, खरवार, खईरवार, खेरवार, कीर, कहार, मल्लाह, मंन्हजि, माझि, माझवार, निषाद, रईकवार, तुरहा, तुराह, तुराहा, तुरेहा, तुरईहा, तियार, त्यार और तिआर।

महाराष्ट्र – भोई, धिनवर भोई, गधार भोई, खादिबोई, खासे भोई, जिंगा भोई, परदेशी भोई , राज भोई, धिवार, धीमर, धिमार, धिवर, कोलिस, दईवर, कोलि धोर, महादेव कोलि, मल्हार कोलि, डोंगेर कोलि, कोलेहा कोल्चा, कोल्गा, टोक्रे कोलि, कहार, धुरिया कहार, गोदईया कहार, गोंड कहार, किराट, कीर, केवात, केवट, खारवार, खईरवार, मछेन्द्र, मछावा, मांजि, गोंड, राज गोंड, तिंडेल, पलेवार, मंजि, मल्हार।

मणिपुर – नामसूद्र और पटनी।

मेघालय – झालो-मालो, झालो, मालो, कैबट्र्टा, जालिया, नामसूद्र, पटनी और भोई।

मिजोरम – झालो-मालो, झालो, मालो, कैबट्र्टा, जालिया, नामसूद्र, पटनी और भोई।

उड़ीसा – देवर, धेवर, धिवर, भोई, भोवि, गोंड, गोंडो, जलिया, जालिया, झालो-मालो, माला, जाला, कैबट्र्टा, कैबर्टा, जलिया, केउटा, केवटा, केउटे, केवट, नामदास, नामसूद्र, खेरवार, खइरवार, खिरवार, तियार, तिअर, तइओर, कोलि, मल्हार।

पंजाब – धेवार, झिमार, झिनवार, झिवार, झिर, झीर, कहार, मल्लाह, जालारिस, राजबंशी, मेहरा।

राजस्थान – धिमार, धीमार, धिवार, भोई, गोंड, गोदिया, गुरिया, राज गांड, कहार, कश्यप, केवट, केओट, झिगार झिनवार, झिवार, झिर, झीर, कीर, मल्लाह, मंहजि, मांझि, मझवार, मेहरा, रिअकवार, कोलि, धोर, टोकरे, कोलि, कोल्चा और कोल्घा।

त्रिपुरा – जलकईबट्टा, कहार, केओट, नामसूद्र और पटनी।

तमिलनाडु – बोस्था, बोस्थार, नरिकंठरा, खारवि, केब्बर, केब्बरा, मीनुगारा, मणिगारा, मुक्कुवर, मुकायार, परिवारा, पारावर, मीनेवार (पार्थराजा, कुलम, पट्टनवर, सेंबदवार), सिवियार और सिविअर।

उत्तर प्रदेश – धिमर, धीमर, धिनवार, धेवर, कश्यप, खारवार, खैरवार, खिरवार, गोदिया, गोंड, गरिया, गुरिया, राज गौंड, मल्लाह, बिंड, मंहजि, मांझि, माझवार, झिमार, झिंवार, झिनवार, झिर, झीर, झिवार, निषाद, कहार, रायकवार, केवट, केओट, तुराह, तुराहा, तुरेहा और तुरइहा।

पश्चिम बंगाल – बिंड, बैडी, चइआ, चइन, बेरचइन, दुलेय, देवर, धेवर, धिवेर, गोंड, गोंडो, गुरी, गोंटी, झालो-मालो, मालो, कैबरट्टा, जलिया, कइबरटा, कोटल, केउटा, केवेटा, केउटा, केवट, केवेट, केयोट, केओट, कदमा, कोलाखारवार, खिरवार, खइरवार, मल्लाह, मेटा, नामदास, मामसूद्र, पटनी, तियार, तिअर, तिओर और सरदिया, कइबरतास।

धर्म

मछुआरा परिवारों में 74.1% हिन्दू है। ईसाई 16.6% तो मुसलमान 9.2% है। ईसाईयों की प्रधानता केरल में (42.4%) है। इसके बाद हिन्दू (30.7%) है। फिर मुस्लिम (26.9%) है। ईसाईयों की गोवा में (37.3%) भी प्रधानता है। तमिलनाडु में भी ईसाई (34.6%) है।

महिलाओं की भूमिका

मछली पालन के क्षेत्र में महिलाओं की खासी अहम भूमिका है। इनमें मछली मारने से पहले और बाद के काम भी शामिल हैं। वे संस्थान और एजेंसियों के साथ मिलकर, खासकर समुद्री भोज्य पदार्थों को बनाने वाले कारखानों में काम कर परिवार की आय में मदद करती है। देश के कई हिस्सों में महिलाएं ही मछली मारने और पालने के काम में लगी हैं।

1. **आय** – महिला मछुआरों की औसत आय स्थान और उनके काम से तय होती है। उदाहरण के लिए केरल में मछलियों को छांटने वाली एक महिला एक साल में 8,232 रुपये कमाती है। पीलिंग के लिए उसे 9,720 रुपये, वैल्यू एडिशन के लिए 18,000 रुपये और क्यूरिंग के लिए 23,328 रुपये मिलते हैं। वहीं मछली बेचने वाली महिला 59,760 रुपये तक कमा लेती है।

2. **पोषक स्थिति और स्वास्थ्य** – दक्षिण भारत में, मछुआरा समुदाय की महिलाओं के बीच अध्ययन में उनमें विटामिन सी, बी-2 और आयरन की कमी पायी गई। एनेमिक बीमारी से पीड़ित महिलाएं 69.2 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। वे राष्ट्रीय औसत से भी कम पोषक तत्व लेती हैं। उनमें त्वचा सूखने, भारीपन, पीठ दर्द, शरीर दर्द, छाती में दर्द, सांस फूलना, जोड़ों का दर्द आदि लक्षण पाए गए।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति

1. **शिक्षा** – मछुआरा समुदाय के बीच साक्षरता दर 57 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 65 प्रतिशत से भी कम है। आंध्र प्रदेश में यह 33 प्रतिशत है तो केरल में 73 प्रतिशत है। उच्च और तकनीकी शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा के मामले में यह समुदाय राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है।
2. **स्वास्थ्य** – पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी सेवाओं की भारी कमी है।
3. **घर** – समुद्री तटों पर बसे मछुआरों के गांवों में कम ही लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं से युक्त अपने घर हैं। कुल 40 प्रतिशत लोग झोपड़ियों में रहते हैं।

बुनियादी सुविधाएं और औजार

मछली मारने वाली नावें – देश में कुल 2,38,722 मछली मारने वाली नावों में 58,911 मशीन से तो 75,591 मोटर से चलने वाली हैं। महाराष्ट्र (13,053) और गुजरात (13,047) में मशीनी नावों का 44.5 प्रतिशत है। मशीनी नावों में ट्रावलर्स करीब 50 प्रतिशत है। 29,241 ट्रावर्स में से गुजरात में 8,002, तमिलनाडु में 5,300, महाराष्ट्र में 4,219 और केरल में 3,912 है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में मशीनी नावों का दो-तिहाई है। पूर्वीतट के राज्यों में बिना मशीन और मोटर से चलने वाली नावों का 73 प्रतिशत है।

करीब 62 प्रतिशत मछुआरा परिवारों के पास कोई नाव नहीं है। 49 प्रतिशत के पास गीयर नहीं है। 47 प्रतिशत परिवार के पास न तो नाव है और न ही गीयर। समुद्री राज्यों में केरल में 66 प्रतिशत, बंगाल में 49 प्रतिशत, तमिलनाडु

में 46 प्रतिशत और बाकी अन्य राज्यों में ऐसे परिवार हैं। महाराष्ट्र के 10 प्रतिशत मछुआरा परिवारों में ही महिलाएं मछली मारने या इससे जुड़े कार्यों में हिस्सा लेती हैं।

देश में 6 बड़े फिशिंग हार्बर हैं (जहां प्रतिदिन के हिसाब से 600 नावें चलती हैं), वहीं 50 छोटे हार्बर में अधिकतर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं। छोटे हार्बर में प्रतिदिन 300 नावें चलती हैं।

मछली बाजार – देश का मछली बाजार असंगठित है और बाजार आधारित चैनल छोटे हैं। खुदरा कीमत में हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। भारत में ताजे पानी की मछलियों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मछलियों की अधिकता है। आंध्र प्रदेश आदि कुछ राज्य मछलियों के लिए ताजे पानी की आपूर्ति करता है। वहीं दिल्ली को हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आपूर्ति होती है। देश के मछली बाजार को मजबूत करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम है। ऐसे उदाहरण कम हैं जहां सरकार ने थोक बाजार में मछली यार्ड बनवाएं हैं।

ताजे पानी की मछलियों का घरेलू बाजार

अधिकता	**कमी**
आंध्र प्रदेश	दिल्ली
हरियाणा	पश्चिमी बंगाल
राजस्थान	ओडिशा
पंजाब	झारखण्ड
पश्चिमी बंगाल	बिहार
उत्तर प्रदेश	छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश
छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश

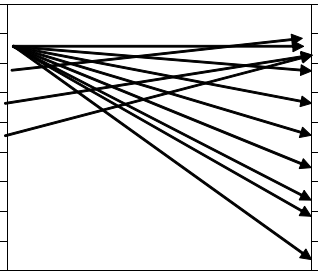

सामुदायिक ढांचा

सामुदायिक संस्थाएं (जैसे जाति पंचायत, पेडालु और पाडू) जाति, परिवार और धार्मिक आधार पर बने हुए हैं। ये झगड़ों के निपटारे और संसाधनों के बंटवारे में अहम भूमिका निभाती हैं ताकि संसाधनों तक सबकी बराबर पहुंच हो सके और एक तरह से ये सामाजिक बीमा प्रदान करते हैं। इनका महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब बड़ी संख्या में लोग सीमित संसाधनों पर निर्भर रहते हैं।

मछुआरा समुदाय के जाति आधारित संगठनों के अलावा संघ के आधार भी इनके संगठन हैं। जैसे नाव मालिक संघ, व्यापारिक यूनियन, को-ऑपरेटिव (सरकारी और निजी) स्वयं सहायता समूह और परिसंघ आदि।

सी-फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री

सी-फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए आधारभूत संरचना

श्रेणी	**31-3-2000 को पंजीकृत**	**क्षमता**
निर्यातक	1549	
मछली पकड़ने वाले जहाज	14266	
फ्रीजिंग प्लांट	394	8439
कैनिंग प्लांट	13	51
बर्फ कारखाने	157	2970
मछली के भोजन के कारखाने	12	229
पीलिंग शेड्स	576	3387
कनवेंस	511	---
कोल्ड स्टोरेज	479	105991
आगर प्लांट	4	0.145
इजइनग्लास	1	10
एएफडी प्लांट	3	3
सुरिमि प्लांट	5	112

स्रोत : 10वीं पंचवर्षीय योजना में मछली उद्योग पर कार्य समूह की रिर्पोट, कृषि मंत्रालय, 2001

निजी पूंजी निवेश और उत्पादकता

समुद्र में मछली पकड़ने के औजार में निजी पूंजी निवेश 7,366 करोड़ है। इसका 80 प्रतिशत मशीनीकरण और मोटरीकरण में लगा है जिससे गैर-मशीनीकरण मछली पकड़ने में सिर्फ 8 प्रतिशत पूंजी लगी है। पूंजीगत उत्पादकता सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है जबकि मजदूर उत्पादकता केरल में।

मछली उद्योग की अर्थव्यवस्था

उत्पादक और जीडीपी में हिस्सेदारी – देश में मछली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 1950-51 में 0.72 मिलियन टन के मुकाबले 2010-11 में इसका उत्पादन 8.288 मिलियन टन पर पहुंच गया। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत इस क्षेत्र की औसत विकास दर 6 प्रतिशत रही है।

समुद्री मछली का उत्पादन जहां 1950-51 में 0.53 मिलियन टन था। वहीं 2010-11 में ये बढ़कर 3.220 मिलियन टन हो गया। वहीं देश के भीतर विकास तेजी से हुआ और 1950-51 के 0.218 मिलियन टन उत्पादन के मुकाबले 2010-11 में यह बढ़कर 5.068 मिलियन टन हो गया। इसकी सालाना विकास दर 4.21 प्रतिशत रही। (ग्राफ 1)

1970-71 में मछली उद्योग 245 करोड़ रुपये का था वहीं 2004-05 में इस क्षेत्र की जीडीपी बढ़कर 29,707 करोड़ रुपये हो गयी। राष्ट्रीय जीडीपी में 2002-03 में इसकी हिस्सेदारी 1.06 फीसदी थी। हालांकि 2010-11 में ये घटकर 0.71 फीसदी पर आ गई।

ग्राफ 1

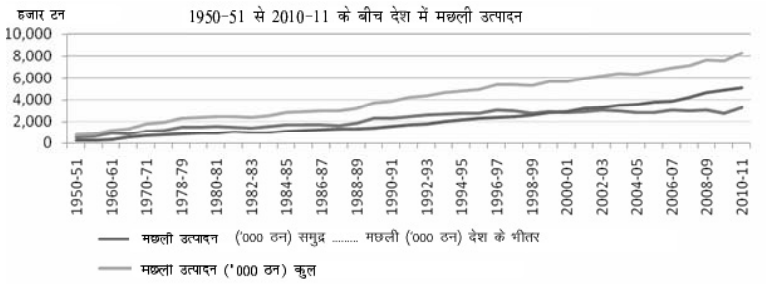

ग्राफ–2

कुल जीडीपी में हिस्सेदारी

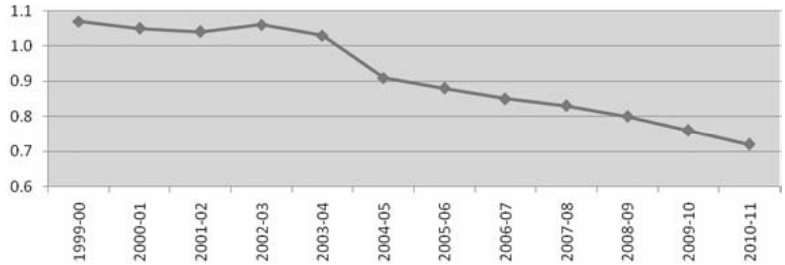

उत्पादन संरचना

मछली उत्पादन की संभावना के मद्देनजर 86.84 प्रतिशत संसाधन (3.837 मिलियन टन) 100 मीटर की गहराई में है। 5.86 प्रतिशत (0.259 मिलियन टन) 100 से 200 मीटर की गहराई में है। 2.59 प्रतिशत (0.115 मिलियन टन) 200 से 500 मीटर की गहराई में है। समुद्री क्षेत्र में संसाधनों का अनुमान 0.208 मिलियन टन है। इनमें येलो फिन टुना (80,000 मिट्रिक टन), स्किपजैक टुना (99,000 मिट्रिक टन), बिग आई टुना (500 मिट्रिक टन), बिलफिश (5,900 मिट्रिक टन), प्लैजिक शार्क्स (20,800 मिट्रिक टन) और दूसरी प्रजातियां (1,800 मिट्रिक टन) हैं।

प्लैगिक प्रजातियों में ऑयल सारडिन्स की हिस्सेदारी सबसे अधिक 0.51 मिट्रिक टन है। इसके बाद रिबॉन फिश (0.23 मिट्रिक टन), इंडियन मकेरेल (0.2 मिट्रिक टन) हैं। डिमरसल समूह में पीनैड प्राउंस 0.24 मिट्रिक टन के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद क्रोकर्स (0.22 मिट्रिक टन) और नॉन पीनैड प्राउंस (0.21 मिट्रिक टन) हैं।

भारत के मछली उद्योग में मछली उत्पादन बढ़ाने की बहुत संभावना है। ताजे पानी की मछलियों का उत्पादन क्षमता से बहुत कम है। (एफएफडीए के तहत तालाब प्रबंधन के जरिए 2.85 टन/एचए का उत्पादन होता है जबकि क्षमता 5.0 टन/एचए है।) मछली उत्पादन के तहत जिस क्षेत्र का इस्तेमाल होता है, वो उपलब्ध संसाधनों 2.41 एमएचए का सिर्फ 0.95 एमएचए। इसी तरह ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर के तहत सिर्फ 15 प्रतिशत क्षेत्र का ही उपयोग हो रहा है।

देश के अंदर बांध और बाढ़ के पानी में तालाब वाली जगहों पर मछली उत्पादन की संभावना है। बांधों में औसत मछली उत्पादन 250 किलो/एचए, तालाबों में 1500 किलो/एचए है। वहीं फिलहाल बांधों से 30 किलो/एचए और तालाबों से 350 किलो/एचए उत्पादन होता है। अगर बांध एनएफडी के कार्यक्रम के अन्तर्गत है तो छोटे बांधों से 174 किलो/एचए, मध्यम बांधों से 94 किलो/एचए, बड़े बांधों से 33 किलो/एचए यानि औसत 110 किलो/एचए उत्पादन होना चाहिए। वहीं बंगाल के तालाबों से 3 टन/एचए उत्पादन का अनुमान है। नहरों से भी मछली उत्पादन की संभावना है।

समुद्र

समुद्र से मछली उत्पादन में भी काफी घट-बढ़ हुई है। 1951-56 में 10.4 प्रतिशत से बढ़कर ये 1956-61 में 32 प्रतिशत पर पहुंच गया। और चौथी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका उत्पादन 25 प्रतिशत रहा। वहीं तीसरी, नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी वृद्धि दर नकारात्मक रही। 2002-03 को छोड़कर 1997 से लगातार वृद्धि दर नकारात्मक रही है।

समुद्र मछली संसाधन

भारत में समुद्रीय मछली संसाधन

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	समुद्र तट की लंबाई (किमी.)	कोंटिनेंटल शेल्फ	लैंडिंग सेंटर की संख्या
आंध्र प्रदेश	974	33	314
गोवा	104	10	34
गुजरात	1600	184	123
कर्नाटक	300	27	88
केरल	590	40	178
महाराष्ट्र	720	112	152
उड़ीसा	480	26	57

तमिलनाडु	1076	41	352
पश्चिम बंगाल	158	17	44
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	1912	35	57
दमन एवं दीव	27	एनए	7
लक्षद्वीप	132	4	11
पुडुचेरी	45	1	26
कुल	8118	530	1443

देश के भीतर

तीन तरह से मछली उत्पादन होता है -

1. नदी 2. बांध 3. तालाब

भारत में जल संसाधनों की प्रचुरता को देखते हुए 50 प्रतिशत मछली उत्पादन देश के भीतर होता है।

नदी और नहर	-	1,95,210 किलोमीटर
बांध	-	2916 मिलियन एचए
तालाब	-	2.4 मिलियन एचए
झील और वैटलैंड्स	-	0.79 मिलियन एचए
खारे पानी	-	1.24 मिलियन एचए

(नदी और खारे पानी को छोड़कर अन्य का क्षेत्र भविष्य में बढ़ेगा क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का विकास हो रहा है।)

ताजे पानी के ये संसाधन बड़ी नदी घाटियों में विभाजित है। इनमें ब्रह्मपुत्र, गंगा, जाह्नवी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती और पश्चिम में बहने वाली छोटी नदियां शामिल हैं।

इस क्षेत्र में मछली का उत्पादन 1950-51 में 0.218 मिलियन टन से बढ़कर 2006-07 में 3.84 मिलियन टन हो गया। हालांकि वृद्धि दर में तेज गिरावट आई है और ये पूरे क्षेत्र के 5.22 प्रतिशत के मुकाबले 3.39 प्रतिशत है।

वैश्विक स्थिति

दुनिया में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता 12.1 किलो है। भारत में ये 5.2 किलो है। सालाना आधार पर प्रति व्यक्ति मछली का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ रही है। मछली को प्रोटीन का सबसे सस्ता जरिया माना जाता है। भारत में मुख्य रूप से ताजे पानी की मछलियों, खासकर हिल्सा और कार्प की भारी मांग है।

विश्व में मछली उत्पादन और एक्वाकल्चर पर एफएओ की रिपोर्ट (सोफिया 2010) के मुताबिक 2009 में विश्व में मछली का उत्पादन सबसे अधिक 145.1 मिट्रिक टन रहा। इनमें 90 मिट्रिक टन मछली समुद्र और देश के भीतर से पकड़ी गई जबकि 55.1 मिट्रिक टन का उत्पादन मछली पालन के जरिए हुआ। कुल उत्पादन का 117.8 मिट्रिक टन का उपयोग खाने के रूप में, जबकि 27.3 मिट्रिक टन का गैर खाद्य उपयोग होगा। इस साल प्रति व्यक्ति मछली आपूर्ति 17.2 किलो रही।

2008 में मछली स्टॉक का 50 प्रतिशत उपयोग में लाया गया। घटने वाला स्टॉक 32 प्रतिशत रहा। जिन संसाधनों का बहुत उपयोग नहीं हुआ वे 15 प्रतिशत थे। पूरी दुनिया में 4.3 मिलियन जहाज मछली उत्पादन के काम में लगे थे। इनमें 59 प्रतिशत (2.54 मिलियन) इंजन से चलने वाले और बाकी 41 प्रतिशत (1.76 मिलियन) पारंपरिक नावें हैं।

2008 में कुल मछली उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर था। समुद्री और देश के भीतर पकड़ी जाने वाली मछलियों में वह छठे नंबर पर था (चीन, पेरू, इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान) देश के भीतर मछली उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर था (चीन और बांग्लादेश के बाद) और मछली पालन में चीन के बाद दूसरे नंबर था।

नीचे वैश्विक और भारत के स्तर पर पकड़ी जाने वाली और पाली जाने वाली मछलियों के तुलनात्मक आंकड़े दिए जा रहे हैं।

भारत और विश्व में मछली उत्पादन और विश्व उत्पादन में (%) में हिस्सेदारी (मिलियन मिट्रिक टन)

	पकड़ी गई मछलियां		पाली जाने वाली मछलियां		कुल मछली उत्पादन	
वर्ष	विश्व	भारत	विश्व	भारत	विश्व	भारत
2005	92.00	3.691	44.30	2.967	136.30	6.658(4.88%)
2006	89.70	3.845	47.30	3.180	137.00	7.025(5.13%)
2007	89.90	3.859	49.90	3.112	139.80	6.971(4.99%)
2008	89.70	4.105	52.50	3.479	142.20	7.584(5.33%)
2010	90.00	4.020	55.10	4.270	145.10	8.290(5.71%)

2008 में कुल मछली उत्पादन का 39.7 प्रतिशत (56.5 मिलियन मिट्रिक टन) को ताजी, जबकि 41.2 प्रतिशत (56.6 मिलियन मिट्रिक टन) को फ्रोजन एवं दूसरी तरह से लोगों के खाने के लिए प्रोसेस किया गया। 90 के दशक के मध्य से सीधे खान-पान में मछलियों का उपयोग बढ़ा है जबकि मछली का तेल और दूसरे कारणों से उपयोग घटा है।

वैश्विक स्तर पर, मछली पालन के जरिए प्रति व्यक्ति आपूर्ति 1970 के 0.7 किलो के मुकाबले 2008 में बढ़कर 7.8 किलो हो गई। औसत सालाना वृद्धि दर है- 6.6 प्रतिशत। 2008 में वैश्विक मछली पालन से उत्पादन 98.4 विलियन डॉलर रहा। इसमें एक्वाटिक पौधे शामिल नहीं हैं। पूरे मछली पालन क्षेत्र में वास्तविक कुल उत्पादन अधिक होगा। क्योंकि इसमें ओरनामेंटल फिशरीज और नर्सरी उत्पादन आदि को जोड़ा नहीं गया है। 2008 में मछली और उससे जुड़े उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड 102 बिलियन डॉलर रहा। ये आंकड़ा कुल कृषि निर्यात का 10 प्रतिशत है। खाद्य मूल्य संकट का असर मछली और इसके उत्पादों पर भी पड़ा है और इसकी कीमत भी बढ़ी है। चीन, नार्वे और थाईलैंड सबसे बड़े मछली निर्यातक हैं। 90 के दशक में चीन का मछली निर्यात तेजी से बढ़ा है और इसमें आयात किए गए कच्चे माल को री-प्रोसेस कर निर्यात करना भी शामिल है। कुल मछली निर्यात का आधा चीन, थाईलैंड और वियतनाम (50.8 विलियन डॉलर) से होता है।

मत्स्य क्षेत्र लोगों के जीविकोपार्जन का एक अहम जरिया बना हुआ है। 2008 में 44.9 मिलियन लोगों के इस काम में जुड़े होने का अनुमान था। ये आंकड़े 167 प्रतिशत वृद्धि दिखाते हैं क्योंकि 1980 में 16.7 मिलियन लोग इस काम में थे। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत (5.39 मिलियन) है। अगर एक व्यक्ति मछली पकड़ने और पालने में लगा है तो द्वितीयक स्तर पर इससे तीन लोगों को रोजगार मिलता है। मत्स्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर विश्व जनसंख्या के हिसाब से तेजी से बढ़े हैं। मछुआरों और मछली पालने वाले किसानों का एक बड़ा तबका विकासशील देशों, खासकर एशिया में है, जहां मछली-पालन तेजी से बढ़ा है।

विश्व में समुद्र और अन्य स्रोतों से पकड़ी जाने वाली मछलियों में आधी हिस्सेदारी छोटे स्तर पर होने वाले मछली उत्पादन से है। ये सीधे तौर पर लोगों के खाने के काम आती है। इस उद्योग में लगे 45 मिलियन लोगों में 90 प्रतिशत छोट स्तर पर जुड़े हुए हैं और ये अन्य 84 मिलियन लोगों, जो मछली बेचने में लगे हैं, उनकी मदद करते हैं। छोटे स्तर पर मछली पालन और मछली पकड़ने के बाद के कार्यों में लगे 95 प्रतिशत से अधिक लोग विकासशील देशों में रहते हैं। वैश्विक मछली उद्योग में अहम भूमिका होने के बावजूद ये लोग विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं।

सोफिया 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक मछली उद्योग में औसत प्रति व्यक्ति उत्पादन (मछली पकड़ना और पालना) एशिया में 2.4 टन प्रति साल है। यूरोप में 23.0 टन, लेटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में 13.8 टन और अफ्रीका में 2.0 टन है। ये आंकड़े मछली उद्योग के औद्योगीकरण और छोटे स्तर पर उत्पादन की अहम भूमिका को दर्शाते हैं।

वैश्विक स्तर पर, मछली पकड़ने और पालने के लिहाज से उत्पादन 2000 में 130 मिट्रिक टन था। 1950 में ये महज 20 मिट्रिक टन था। वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 4.36 प्रतिशत है। इसमें देश के भीतर 9.92 प्रतिशत और समुद्र से 2.8 प्रतिशत है।

देश के भीतर से उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। दूसरे बड़े उत्पादक देश चीन, जापान, अमेरिका, रूस और इंडोनेशिया है। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1992 में 6.1 प्रतिशत (4.37 मिलियन टन)

थी जो 2003 में 6.5 प्रतिशत (6.40 मिलियन टन) हो गई। निर्यात में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

ग्राफ-3

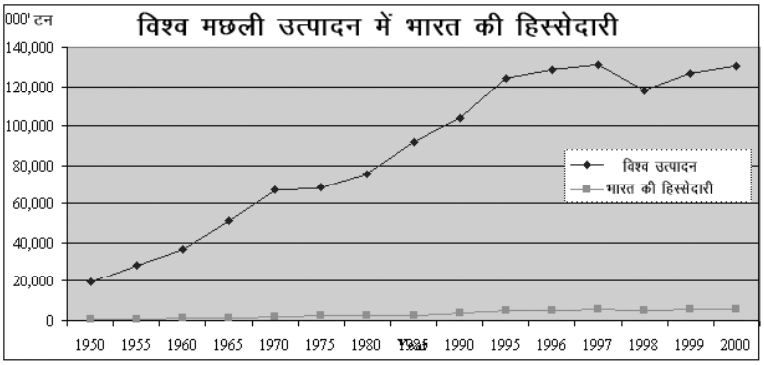

निर्यात

भारत से मछली का निर्यात कृषि निर्यात का 18 प्रतिशत है। कई देशों को 50 से अधिक उत्पाद भेजे जाते हैं। ओर्नामेंटल फिश निर्यात में भारत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। 2008-09 और 2009-10 के बीच वजन में भारत से मछली निर्यात 12.54 प्रतिशत बढ़ा जबकि कीमत के रूप में 16.74 प्रतिशत। खाद्य निर्यात में सी-फूड का हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक है। 2007-08 में भारत के कुल निर्यात का 1 प्रतिशत मछली और उससे तैयार उत्पाद थे। 2007-08 में भारत ने 5,41,701 मिट्रिक टन मछली और उसके उत्पादों का निर्यात किया। इसकी कीमत 7,620.92 करोड़ थी। कीमत के मामले में भारत 27वें तो वजन के मामले में 23वें नंबर पर था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मछली निर्यात को 6,000 करोड़ से बढ़ाकर 14000 करोड़ करने का लक्ष्य था।

भारत से मछली और उसके उत्पाद के निर्यात में जापान, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन (स्पेन, वेल्जियम, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पूर्तगाल, नीदरलैंड) चीन, हांगकांग, यूएई, कनाडा, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है।

आयात

आयात की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 1962 से 2005 के आयात के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि शुरुआती सालों में आयात

अधिक था। 2000 तक इसमें खासी गिरावट आई और फिर इसमें बढ़ोतरी हुई। फिलहाल भारत फिशमिल और ताजी मछलियां बांग्लादेश से आयात करता है। 1998 में ताजी और फ्रोजन मछलियों का 97 प्रतिशत हिस्सा बांग्लादेश से आया।

जापान और पाकिस्तान तथा अमेरिका, नार्वे, चीन, सिंगापुर, थाईलैंड और कोरिया से भी मछली आयात की जाती है। वहीं मछली कारखाना थाईलैंड, चिली, पेरू, म्यांमार और ताईवान से आयात किया जाता है।

रोजगार

करीब 35 लाख पारम्परिक मछुआरे अपनी नौका चलाते हैं। यह पारिवारिक और सामुदायिक है। करीब 12.5 लाख लोग समुद्र में मछली से जुड़े रोजगार में लगे हैं। इनमें से 9 लाख तटीय गांवों में रहते हैं। करीब 15 लाख लोग जाल बुनने, विपणन, पीलिंग, क्यूरिंग और प्रोसेसिंग में लगे हैं। महिलाएं द्वितीयक रोजगार और अन्य काम में लगी हुई है। इस क्षेत्र में रोजगार पाने वालों में महिलाएं 48 प्रतिशत हैं।

भारतीय मछली सेक्टर की सबसे खासियत इसका छोटे स्तर पर काम करना है। भारत में ये पारंपरिक रूप से होता रहा है और सदियों से मछुआरा समुदाय इसमें लगा है। इसे तीन हिस्सों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है - (1) देश के भीतर मछली पकड़ना, (2) समुद्र में मछली पकड़ना और (3) मछली पालक। भारतीय मवेशी जनगणना 2003 के मुताबिक 14.49 मिलियन लोग मछली पकड़ना और पालने जैसे कामों में लगे हैं। 75 प्रतिशत लोग देश के भीतर जबकि 25 प्रतिशत समुद्र के जरिए इसमें लगे हैं।

नेशनल मैरिन फिशरीज जनगणना, 2005 के मुताबिक मछली क्षेत्र 3.51 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। इनमें 0.9 मिलियन मछुआरे और 0.7 मिलियन दूसरे कामों में लगे हैं। 0.2 मिलियन मछली बेचने, 0.1 मिलियन मरम्मत, 0.2 मिलियन प्रोसेसिंग और 0.1 मिलियन जोड़ धंधों में लगे हैं।

1980 में तटों पर रहने वाले मछुआरों की संख्या 1.87 मिलियन से दोगुनी होकर 2005 में 3.5 मिलियन हो गई। समुद्र के किनारे बसे राज्यों में पश्चिम बंगाल में तट का प्रति किलोमीटर घनत्व सबसे ज्यादा (1,706) है। इसके बाद केरल (1,012) और उड़ीसा (938) है।

जो मछली क्षेत्र से सक्रिय रूप से जुड़े हैं उनमें (81 प्रतिशत) अधिकतर फुल-टाइमर हैं। 13 प्रतिशत पार्ट-टाइम आधार पर तो बांकी कभी-कभार मछली पकड़ने का काम करते हैं। फुल-टाइम काम के रूप में ये पश्चिमी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में लोकप्रिय है। इनमें गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल शामिल है। इन राज्यों में 84 प्रतिशत सक्रिय रूप में इस काम में लगे हैं। वहीं पूर्वी तटीय राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में 79 प्रतिशत लोग इस काम में फुल-टाइम लगे हुए हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु शामिल हैं।

एनएमएफसी, 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं मार्केटिंग (41.8 प्रतिशत), मजदूर (18.4 प्रतिशत) और क्यूरिंग/प्रोसेसिंग (18 प्रतिशत)में लगी हैं। मार्केटिंग में लगी 73.6 प्रतिशत और क्यूरिंग/प्रोसेसिंग में लगी 75.7 प्रतिशत महिलाएं हैं।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महिलाएं मार्केटिंग में (39,228), तमिलनाडु में (31,019) और आंध्र प्रदेश में (2,7,160) लगी है। क्यूरिंग/प्रोसेसिंग में आंध्र प्रदेश (24,524), उड़ीसा (16,447) और महाराष्ट्र में (8,584) महिलाएं लगी हैं।

मछली मारने वाली नावें

समुद्री मछली बड़ें में 2,43,939 नावें हैं। इनमें से 1,07,448 (44.05 प्रतिशत) पारंपरिक, जबकि 76,748 (31.46 प्रतिशत) मोटर से चलने वाली नावें हैं। कुल 59,743 मशीनी नावें हैं जो कुल 24.49 प्रतिशत है। मछली पकड़ने की अधिकांश गतिविधियां 100 मीटर तक गहरे जोन में होती है। पारंपरिक नावें (मोटर सहित) पूर्वी तट पर हैं (कुल का 67 प्रतिशत), जबकि 64 प्रतिशत मशीनी नावें पश्चिमी तट पर हैं।

पूंजी

मत्स्य क्षेत्र में सकल स्थायी पूंजी पिछली तीन पंचवर्षीय योजना में बढ़ी है। रोचक तथ्य यह है कि इसका बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में आता है। सरकारी क्षेत्र को भी निवेश बढ़ाने की जरूरत है।

पिछली तीन पंचवर्षीय योजना में पूंजी की आवक और मत्स्य क्षेत्र का आउट पुट				
पंचवर्षीय योजना	औसत सालाना सकल स्थायी पूंजी आवक	औसत सालाना आउट पुट		जीएफसीएफ/आउटपुट अनुपात
		त्रैमासिक ('000t)	मूल्य (करोड़ में)	
आठवीं	1,561.80	4,819.06	12,566.40	12.43
नवीं	3,210.60	5,594.60	24,558.00	13.07
दसवीं	4,896.00	6,299.50	31,682.50	15.45

समुद्री क्षेत्र में सांस्थानिक कर्ज पर्याप्त है। वहीं देश के भीतर कर्ज असंगठित है। यहां कर्ज, व्यापारी और सूदखोरों से मिलता है। वृद्धि दर हासिल करने में ये बड़ा रोड़ा है। कर्ज के बड़े स्रोत नाबार्ड और एनसीडीसी हैं। 2002-05 में नाबार्ड ने 539 करोड़ का कर्ज दिया जो 2004-05 में 1,301 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में इसके लिए 1,720 करोड़ रखे गए हैं।

कर्ज की राशि बढ़ाना जरूरी है। साथ ही कर्ज आसानी से मिले, इसके लिए भी तंत्र विकसित करना होगा। उदाहरण के लिए, अधिकतर मछुआरे और मछली पालक जमीन/तालाब के रूप में सिक्योरिटी नहीं दे सकते। बैंकों के पास भी ऐसे लोगों की कमी है जो इस तरह के प्रस्ताव की जांच कर सकें। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीएलसी का अनुमान 13,336 करोड़ है, जबकि इसके लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में 6,198 करोड़ रुपये रखे गये थे।

बजट आबंटन

तेजी से बढ़ने के कारण पंचवर्षीय योजनाओं में इसके लिए आवंटन बढ़ता गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में 5.13 करोड़ तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2069.70 करोड़ रुपये रखे गये। आवंटन और खर्च इस प्रकार है -

पंचवर्षीय योजनाओं में मत्स्य क्षेत्र के लिए बजट आबंटन और खर्च								
योजना	केन्द्रीय क्षेत्र		केन्द्र समिर्थित		राज्य		कुल	
	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च
I	1	0.38	-	-	4.13	2.4	5.13	2.78
II	3.73	1.8	-	-	8.53	7.26	12.26	9.06
III	6.72	3.03	-	-	21.55	20.29	28.27	23.32
IV	28	8.11	6	5.17	48.68	40.83	82.68	54.11
V	51.05	39.93	17	4.07	83.19	71.11	151.24	115.11
VI	137.1	75.54	36.62	28.8	197.42	182.61	371.14	286.95
VII	156.58	116.93	60.75	53.26	329.19	307.4	546.52	477.59
VIII	139	161.01	300	268.02	766.39	689.43	1205.39	1118.46
IX	240	124.37	560	273.18	1269.78	1016.26	2069.78	1413.81
X	175	183.15	565	485.15	1320.54	-	2060.54	-

मत्स्य क्षेत्र के लिए रखे गए बजट से खर्च

योजना	% खर्च			
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्र समर्थित	राज्य	कुल
I	38	-	58.11	54.19
II	48.26	-	85.11	73.9
III	45.09	-	94.15	82.49
IV	28.96	86.17	83.87	65.45
V	78.22	23.94	85.48	76.11
VI	55.1	78.65	92.5	77.32
VII	74.68	87.67	93.38	87.39
VIII	115.83	89.34	89.96	92.79
IX	51.82	48.78	80.03	68.31
X	104.66	85.87	-	-

पारिस्थितिकीय मुद्दे

सुनामी – 26 दिसंबर, 2004 को आयी सुनामी से बंगाल की खाड़ी के निकट बसे सभी देश प्रभावित हुए।। ये सुनामी 8.9 तीव्रता का भूकंप आने से आई, जिसका केन्द्र इंडोनेशिया के पश्चिमी तट पर सुमात्रा था।

सुनामी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को खासा प्रभावित किया।

भारत में सुनामी से क्षति

कारक	आंध्र प्रदेश	केरल	तमिलनाडु	पांडिचेरी	कुल
जनसंख्या प्रभावित	211,000	2,470,000	691,000	43,000	3,415,000
क्षेत्र प्रभावित (हेक्टेयर)	790	अज्ञात	2,487	790	4,067
प्रभावित तट की लम्बाई (किलोमीटर)	985	250	1,000	25	2,260
प्रवेश की सीमा (मीटर)	0-5 - 2.0	1 - 2	1 - 1.5	0.30 - 3.0	3 – 7.5 (करीब)
सुनामी की रिपोर्टेड खंचाई (मीटर)	5	3 to 5	7 to 10	10	25 - 30
प्रभावित गांव	301	187	362	26	876
आवास ईकाईयां	1,557	11,832	91,037	6,403	110,829
खोयी मवेशियां	195	अज्ञात	5,476	3,445	9,116

स्रोत: डीआईएमएआरएफ, इंडिया–2005

भारत में सुनामी ने खासी क्षति हुई। करीब 5,000 मशीनी बोट क्षतिग्रस्त हो गई। इनकी कीमत करीब 663.1 करोड़ (152.4 मिलियन डॉलर) थी। इसके अलावा 7,933 एफआरपी बोट/वलम, जिनकी कीमत 50.10 करोड़ (11.5 मिलियन डॉलर) थी, वे भी खराब हो गई। 24,580 नावें, इनमें मुख्य रूप से मोटर चलाने वाली नावें थीं, जिनकी कीमत 121 करोड़ (27.8 मिलियन डॉलर), 35483 लकड़ी की नावें, जिनकी कीमत 90 करोड़ (20.7 मिलियन डॉलर) थी, भी खराब हो गई।

इसके अलावा 2,342 आउटबोर्ड मोटर, जिनकी कीमत 10.1 करोड़ (2.3 मिलियन डॉलर) थी, खराब हो गईं या लापता हो गईं। 44.4 करोड़ (10.2 मिलियन डॉलर) की जालें भी खराब हो गईं। 19.9 करोड़ (4.6 मिलियन डॉलर) की बोट सीन्स केरल में गुम हो गईं। 8.4 करोड़ पानी 1.9 मिलियन डॉलर के 388 हेक्टेयर की तालाब खत्म हो गए। पांच हेयरी (0.25 करोड़ यानी 57,500 डॉलर) और छोटे आकार के 102 ओयस्टर फार्म, जिनकी कीमत 0.102 करोड़ (23,500 डॉलर) थी, केरल में बर्बाद हो गए।

	क्षति और नुकसान (मिलियन में)			**जीविका पर प्रभाव**
	क्षति	**नुकसान**	**कुल**	
आंध्र प्रदेश	29.7	15	44.7	21.2
केरल	61.7	39.1	100.8	36.3
तमिलनाडु	437.8	377.2	815	358.3
पुडुचेरी	45.3	6.5	51.8	5.9
कुल	574.5	448.3	1022.8	42.7
क्षेत्र				
मकान	193.1	35.4	228.5	
स्वास्थ्य और शिक्षा	10.7	12.9	23.6	
कृषि और मवेशी	15.1	22.4	37.5	26
मछली	229.6	338.2	567.8	338.2
जीविका	20	37.5	57.5	57.5
ग्रामीण और निगम की बुनियादी सुविधाएं	28	1.6	29.6	
परिवहन	35.2	0.3	35.5	
तटीय सुरक्षा	42.8	0	42.8	

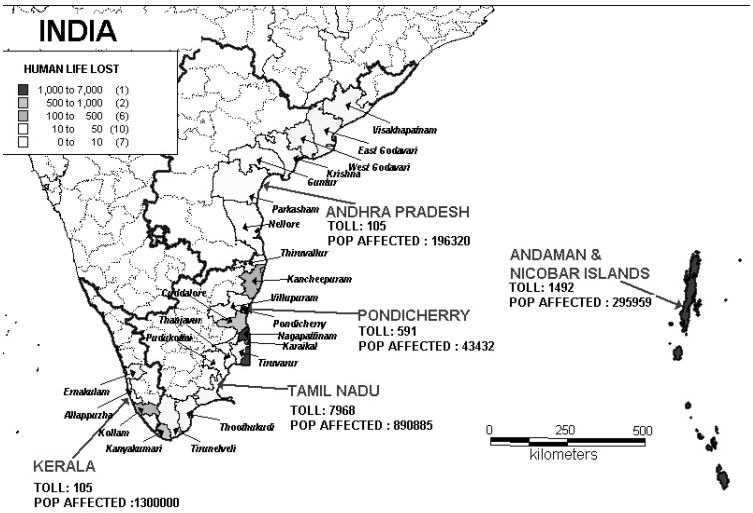

तटीय रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना 2010

भारत सरकार के गजट में 15 सितंबर, 2010 को पर्यावरण मंत्रालय की ओर से छपे सीआरजेड अधिसूचना के जरिए 1991 से 2007 तक तटीय नियमन में संशोधनों को कानूनी वैधता दी गई। इसमें संसद की स्थायी समिति की अनदेखी की गई। 1991 में सीआरजेड की असली अधिसूचना का मकसद तटीय क्षेत्रों को पर्यावरण की क्षति से बचाना था। बाद में इसे 23 बार संशोधित किया गया ताकि उद्योग, पर्यटन और मनोरंजन, परमाणु और थर्मल बिजली केन्द्रों, बंदरगाह, बालू खनन और मत्स्य क्षेत्र को फायदा मिल सके।

ऑरिजिनल रेगुलेशन निम्नलिखित चीजों पर पाबंद थीं -

1. नए उद्योग लगाना और वर्तमान उद्योगों को बढ़ाना।
2. घातक रसायनों का उत्पादन, उन्हें रखना और उन्हें नष्ट करना।
3. एचटीएल और एलटीएल के बीच कोई भी नियंत्रण कार्य।
4. मछली प्रोसेसिंग यूनिट लगाना या विस्तार।
5. कचरा नष्ट करने के लिए यूनिट या कारखाना लगाना।
6. कारखानों, शहरों से गैर-निष्पादित कचरा बहाने पर।
7. जमीन भराव के लिए शहरों से कचरा या राख लाना।

8. समुद्र की कुदरती धारा में रोक।
9. बालू और पत्थरों का खनन।
10. एचटीएल के 200 मीटर के दायरे में जमीन से पानी निकालना।
11. पारिस्थितिकीय रूप में संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य।
12. बालू के ढ़ोरें, पहाड़ी, कुदरती चीजों में बदलाव।

सीआरजेड रेगुलेशन में संशोधन

सीआरजेड रेगुलेशन संशोधन में निम्नलिखित पर से पाबंदियां हटीं –

1. समुद्र तट से जुड़े कारखाने, सीआरजेड के विशेष आर्थिक क्षेत्र में सेवा उद्योग, परमाणु ऊर्जा परियोजना (अप्रैल, 2001 और अक्टूबर, 2002 संशोधन)।
2. पेट्रोलियम उत्पाद, एलएनजी और उर्वरक रखने की सुविधा।
3. मछली प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना (जुलाई, 1997)।
4. गैर निष्पादित पानी (2003 संशोधन)।
5. ताप बिजली घर से राख निकालना। 1991 की सीआरजेड अधिसूचना में इस पर पाबंदी थी।
6. सीआरजेड अधिसूचना मसौदा, 2010 में वाणिज्यिक गतिविधियों को वैधता [धारा 3(xii)], सीआरजेड अधिसूचना, 1991 में संशोधन।
7. [धारा 3(xii)] (ए) और (बी) के तहत बहुत कम पाए जाने वाले मिनरल, जो सीआरजेड क्षेत्र से बाहर नहीं पाये जाते हैं, तेल और गैस की खोज (1997 संशोधन)।
8. [धारा 3(xv)] सीआरजेड में निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी, अब वैध।
9. बंदरगाहों की छूट दी खंड के तहत [धारा 3(xv)](ए) नया बंदरगाह के रूप में अंतिम सीमान्त दस्तावेज में प्रतिबंधित नीति 2010 का मसौदा सीआरजेड अधिसूचना के निषेध खंड के अधीन छूट दी गई है।

प्रभाव

गहरे समुद्र में औद्योगिक फिशिंग की वजह से मछलियों की संख्या में कमी, प्रदूषण, उछले पानी में मशीनी नावों के द्वारा मछली पकड़ना (सुनामी

के कारण घट गई है।), पुनर्वास की वजह से मछुआरा परिवारों का उजड़ना, और सब्सिडी/कर्ज में कमी - इन सब कारणों से मछुआरा समुदाय के रहन-सहन पर असर पड़ा है।

2006 के ईआईए अधिसूचना के जरिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमति दी गई है। अब तटों पर परमाणु बिजली घर भी लगाए जा सकते हैं। इससे समुद्र के संसाधन और इस पर आश्रित दोनों की स्थिति खराब है।

तटीय नियमन जोन (सीआरजेड), 2011

इसके दिशानिर्देशों के जरिए तटीय जोन प्रबंधन योजना तैयार की जाती है। इसमें उन पेट्रोलियम और रासायनिक पदार्थों के नाम हैं जिन्हें यहां रखने की अनुमति है। वहीं तट पर रेस्टोरेंट, होटल, रिपोर्ट बनाने से जुड़े नियम भी हैं। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय में जरूरी अनुमति लेनी होती है। इसमें कई नई बातें हैं -

1. गोवा, केरल, वृहत् मुंबई और सुंदरवन मेनग्रोव क्षेत्र, चिल्का और भितरकनिका (उड़ीसा), खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी (गुजरात), मालवान (महाराष्ट्र), कारवार और कुंदापुर (कर्नाटक), वेम्बानद (केरल), कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा और डेल्टा (आंध्र प्रदेश), मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु) जैसे तटीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान।
2. सीआरजेड की मंजूरी के लिए स्पष्ट निर्देश।
3. 12 नॉटिकल मील तक ओसयेनिक जोन, इसमें क्रीक नदियां शामिल। इसमें मछली मारने पर कोई पाबंदी नहीं।
4. तटीय जोन प्रबंधन योजना की रूपरेखा, स्थानीय समुदाय के सहयोग से बनाना और लागू करना।
5. अगले 5 साल में घातक रेखा खींचना ताकि स्थानीय समुदायों की जिंदगी और संपत्ति बचायी जा सके।

वर्तमान अधिसूचना के तहत सीआरजेड के अंदर लगी पाबंदियां-

1. तट से जुड़ी औद्योगिक इकाईयों को छोड़कर नये कारखाने या उनके विस्तार पर रोक, परमाणु बिजली परियोजना, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाना, पुनर्निर्माण, स्थानीय समुदायों के घरों की मरम्मत, सीआरजेड-1

के तहत वर्गीकृत क्षेत्र में डिमेनिलाइजेशन प्लांट- ये सब सामाजिक प्रभाव सहित इनके प्रभाव का निर्धारण करने वाले अध्ययन के बाद तय होगी।

2. मछली प्रोसेसिंग यूनिट लगाना और उसका विस्तार, इसमें गोदाम भी शामिल है (हालांकि हेचरी और मछली को सुखाने के कुदरती तरीकों की अनुमति को छोड़कर)।
3. समुद्र के पानी की कुदरती धारा से छेड़छाड़।
4. कचरा निष्पादन के लिए यूनिट और उनका विस्तार।
5. उद्योगों, शहरों से गैर-निष्पादित पानी छोड़ना।
6. शहरों, उद्योगों से कचरा, मलवा, ठोस कचरा, राख आदि जिनका उपयोग जमीन भरने में होता है।

द्वीप सुरक्षा जोन अधिसूचना, 2011

द्वीप तटीय नियमन जोन (आईसीआरजेड) और समेकित द्वीप प्रबंधन योजना (आईआईएमजी) का मकसद अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों की सुरक्षा करना है।

अंडमान-निकोबार द्वीपों के तटीय क्षेत्र निम्नलिखित तौर पर वर्गीकृत हैं-

आईसीआरजेड-1 - पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील और जियोमोर्फोलोजिकल रूप से महत्त्वपूर्ण जो तटों और लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच पड़ने वाले क्षेत्र को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

आईसीआरजेड-2 - क्षेत्र, जो तटों के आसपास विकसित किए गए हैं।

आईसीआरजेड-3 - वे क्षेत्र, जिन्हें अब तक छेड़ा नहीं गया है और जो आईसीआरजेड-1 में नहीं आता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के तटीय इलाके आते हैं। (विकसित और अविकसित) वैसे क्षेत्र भी इसमें आते हैं जो निगम क्षेत्र के अधीन हों और वैध रूप से शहरी क्षेत्र हों।

आईसीआरजेड-4 - ओसियेनिक क्षेत्र, जो लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल मील होता है।

तटीय नियमन जोन अधिसूचना, 2011 की सफलता इस आधार पर आंकी जानी चाहिए कि ये मछुआरा समुदाय की मांगे पूरी करने में क्या विफल रहा है और तटीय क्षेत्र की पारिस्थतिकीय को बचाने में सफल रहा है?

दूसरों के जलक्षेत्र में घुसना

आधुनिक नेविगेशन प्रणाली नहीं होने से कई बार मछुआरे पड़ोसी देशों की समुद्री सीमा में चले जाते हैं। जिससे परिणाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं।

1. **श्रीलंका** – पिछले दो दशक में श्रीलंका के सुरक्षा बलों ने करीब 500 भारतीय मछुआरों की जान ले ली। श्रीलंका को 1976 में केचेटेव द्वीप देने के बाद मछुआरों को यहां आने से रोका जा रहा है, जबकि समझौते में ऐसा कुछ नहीं है।

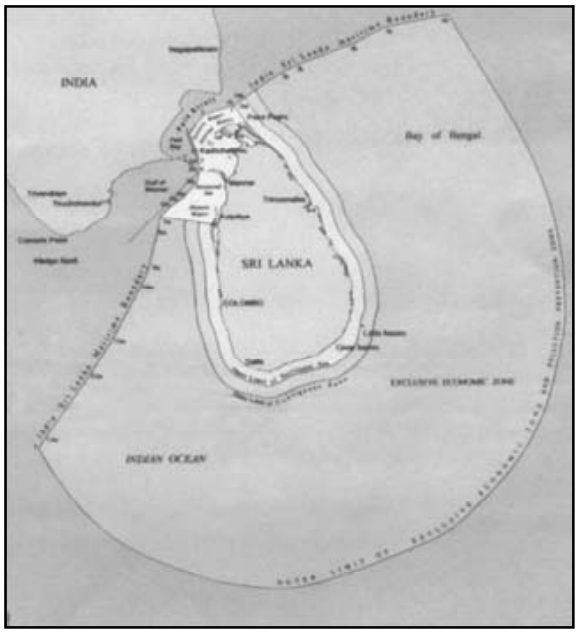

श्रीलंका-भारत समुद्री सीमा और जोन

गिरफ्तारी के डर के बावजूद मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं।

मछली पकड़ने के दौरान नाव का पड़ोसी देश की सीमा में चले जाना असामान्य नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार उनकी जान भी चली जाती है। साझा कार्य समूह और दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बातचीत के बावजूद ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा।

2. **पाकिस्तान** – गुजरात और महाराष्ट्र के मछुआरों द्वारा पाकिस्तान की समुद्री सीमा में घुसने का मतलब है, कई साल के लिए जेल। उनकी

नावें भी जब्त हो जाती हैं। फिलहाल 260 मछुआरे पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।

दोनों देशों में हिरासत में लिए गए मछुआरे		
	भारतीय मछुआरे पाकिस्तानी	**पाकिस्तानी मछुआरे भारतीय**
अप्रैल-08	18	410
जुलाई-08	378	412
जनवरी-09	प्रस्तुत करने में विफल	343
जुलाई-09	प्रस्तुत करने में विफल	535
जनवरी-09	प्रस्तुत करने में विफल	510

हाल में छोड़े गए और किस अवसर पर रिहा		
छोड़ने की तारीख	**विवरण**	**अवसर**
14 अगस्त, 2007	48 पाकिस्तानी मछुआरे और 100 भारतीय मछुआरे छोड़े गए	स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गृह सचिव स्तरीय वार्ता
25 नवंबर, 2008	29 पाकिस्तानी और 101 भारतीय मछुवारे रिहा	गृह सचिव स्तर की वार्ता के पश्चात् फैसला
25 दिसंबर, 2008	99 भारतीय रिहा	पीएम की सद्भावना
2 जनवरी, 2010	31 पाकिस्तानी मछुआरे रिहा	पाकिस्तान की सद्भावना का जबाव
12 जून, 2012	311 भारतीय मछुआरे रिहा	भारत से दोस्ताना रिश्ते बनाये रखना

व्यापार समझौता

दक्षिण एशिया मुफ्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) - 28 दिसंबर, 1999 को भारत और श्रीलंका के बीच मुफ्त व्यापार का समझौता किया गया। इसमें श्रीलंका से भारत ने मत्स्य उत्पादों की शुल्करहित आयात की अनुमति ली। साफ्टा और

दक्षिण एशिया तरजीही व्यापार क्षेत्र पर दस्तखत करने से भारत ने कई दक्षिण एशियाई देशों के साथ तरजीही व्यापार समझौते किए हैं।

बैंकॉक समझौता

यह इकोनोमिक एण्ड सोशल कमीशन फॉर एशिया एण्ड पैसिफिक (इस्कैप) के तहत हुआ। इसमें दरों में रियायत के जरिए व्यापार बढ़ाने का प्रावधान है। 1975 में हुए इस समझौते पर भारत समेत 7 देशों ने दस्तखत किए।

भारत-ईयू व्यापार समझौता

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2007 में वार्ता शुरु हुई। मत्स्य क्षेत्र पर भी इसमें चर्चा हुई। 27 नवंबर, 2007 के 'द इकोनॉमिक टाइम्स' के अंक में कहा गया कि मछुआरा समुदाय इसका निषेध करेंगे। उन्होंने मछली की कुछ प्रजातियों को नकारात्मक सूची में रखने की मांग की।

कानून

पर्यावरण मंत्रालय ने पारंपरिक तटीय और समुद्रीय मछुआरा (अधिकारों का संरक्षण) बिल 2009 का प्रारूप तैयार किया। तदनुसार -

- इसमें पारंपरिक मछुआरा समुदाय के अधिकारों को मान्यता दी गई। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ दोहन के लिए मछली मारने की गतिविधि के नियमन की बात कही गई।
- इसमें तटीय इलाकों के अलावा, क्रीक, खाड़ी आदि को भी शामिल किया गया।
- पंचायत को मछुआरा समुदाय और अकेले मछुआरे के मछली पकड़ने के अधिकार को तय करने का जिम्मा दिया गया। राज्य सरकार से एक समिति बनाने को कहा गया ताकि पंचायत के प्रस्तावों की जांच हो सके। किसी विवाद और शिकायत में राज्य सरकार का मत्स्य विभाग अपीलीय प्राधिकरण होगा।

इस बिल में कई कमियां हैं, जैसे -

- इसमें 'तटीय जल', 'मशीन से मछली पकड़ना', 'नोडल एजेंसी', 'पारंपरिक' जैसे शब्दों पर अस्पष्टता है। इसमें सुधार की जरूरत है।

- समुद्र में मछुआरा द्वारा 5 किमी. तक नाव ले जाने के अधिकार को ही मान्यता।
- कृषि मंत्रालय की जगह पर्यावरण मंत्रालय ने मसौदा तैयार किया जो मछुआरा समुदाय पर ध्यान नहीं दिया।
- स्थानीय निकायों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई।

भारत में मत्स्य संसाधन

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	नदियां और नहरें (किमी)	जलाशय (मिलियन हेक्टेयर)	तलाब/टैंक (मिलियन हेक्टेयर)	बील्स, झील और ऑक्सबो लैक्स तथा डेरिलिक्ट वाटर बॉडी (मिलियन हेक्टेयर)	खारा पानी (मिलियन हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	11514	0.23	0.52		0.06
2	असम	4820	0.002	0.023	0.11	
3	बिहार	3200	0.06	0.1	0.01	
4	गोवा	250	0.003	0.003		neg
5	गुजरात	3865	0.24	0.07	0.01	0.1
6	हरियाणा	5000	Neg	0.01	0.01	
7	हिमाचल प्रदेश	3000	0.04	0.001		
8	जम्मू और कश्मीर	27781	0.01	0.02	0.01	
9	कर्नाटक	9000	0.44	0.29		0.01
10	केरल	3092	0.03	0.03	0.24	0.24
11	मध्य प्रदेश	17088	0.23	0.06		
12	महाराष्ट्र	16000	0.28	0.06		0.01
13	मणिपुर	3360	0.001	0.01	0.004	
14	मेघालय	5600	0.01	0.002	Neg	
15	नागालैंड	1600	0.02	0.05	Neg	
16	उड़ीसा	4500	0.26	0.11	0.18	0.43
17	पंजाब	15270	Neg	0.01		
18	राजस्थान	5290	0.12	0.18		
19	सिक्किम	900			0.003	
20	तमिलनाडु	7420	0.57	0.06	0.01	0.06
21	त्रिपुरा	1200	0.005	0.013		
22	उत्तर प्रदेश	28500	0.14	0.16	0.13	
23	पश्चिम बंगाल	2526	0.02	0.28	0.04	0.21
24	अरुणाचल प्रदेश	2000		0.28	0.04	
25	मिजोरम	1395		0.002		
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	115	0.001	0.003		0.12
27	चंडीगढ़	2		Neg	Neg	
28	दिल्ली	150	0.004			
29	लक्षद्वीप					
30	पुडुचेरी	247		Neg	0.001	neg
31	दादरा एवं नगर हवेली	54	0.01			
32	दमन एवं दीव	12		Neg		n
33	छत्तीसगढ़	3573	0.08	0.06		
34	उत्तरांचल	2686	0.02	0.001		
35	झारखण्ड	4200	0.09	0.03		
	कुल	195210	2.916	2407	0.797	1.24

स्रोत: हैंड बुक ऑन फिशरीज स्टेटिस्टिक्स, 2005, रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रूप ऑन फिशरीज फॉर X फाइव इयर प्लान, एमओए, 2001

भारत में राज्य और कार्य आधारित समुद्री मछुआरों की जनसंख्या

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	सक्रिय मछुआरे	मत्स्य उद्योग से जुड़े	मत्स्य उद्योग से अलग	कुल जनसंख्या
पश्चिम बंगाल	70,750	57,741	141,074	269,565
उड़ीसा	121,282	152,534	176,575	450,391
आंध्र प्रदेश	138,614	152,892	218,485	509,991
तमिलनाडु	206,908	104,509	478,991	790,408
पुडुचेरी	10,341	10,095	22,592	43,028
केरल	140,222	71,074	390,938	602,234
कर्नाटक	37,632	45,699	87,583	170,914
गोवा	2,515	3,382	4,771	10,668
महाराष्ट्र	72,074	81,780	165,543	319,397
गुजरात	83,322	75,082	164,811	323,215
दमन एवं दीव	5,868	1,603	21,834	29,305
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,247	6,580	4,439	15,266
लक्षद्वीप	8,040	3,561	28,721	40,322
भारत	**901,815**	**766,532**	**1,906,357**	**3,574,704**

भारत में राज्य में मछली पकड़ने वाले जहाजों की संख्या					
क्र. सं.	**राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश**	**मशीनी जहाज**	**मोटर जहाज**	**गैर मोटर जहाज**	**कुल**
1	पश्चिम बंगाल	6829	1776	10041	18646
2	उड़ीसा	3577	4719	15444	23740
3	आंध्र प्रदेश	2541	14112	24386	41039
4	तमिलनाडु	7711	22478	24231	54420
5	पुडुचेरी	627	2306	1524	4457
6	केरल	5504	14151	9522	29177
7	कर्नाटक	4373	3705	7577	15655
8	गोवा	1087	932	532	2551
9	महराष्ट्र	13053	3382	7073	23508
10	गुजरात	13047	7376	3729	24152
11	दमन एवं दीव	562	654	211	1427
12	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	165	781	1837	2783
13	लक्षद्वीप	667	376	1341	2384
14	**भारत**	59743	76748	107448	243939

भारत में मछली उत्पादन (1950-51 से 2010-11)

वर्ष	मछली उत्पादन (1000 टन)		
	समुद्री	देश के भीतर	कुल
1950-51	534	218	752
1955-56	596	243	839
1960-61	880	280	1,160
1965-66	824	507	1,331
1970-71	1,086	670	1,756
1973-74	1,210	748	1,958
1978-79	1,490	816	2,306
1979-80	1,492	848	2,340
1980-81	1,555	887	2,442
1981-82	1,445	999	2,444
1982-83	1,427	940	2,367
1983-84	1,519	987	2,506
1984-85	1,698	1,103	2,801
1985-86	1,716	1,160	2,876
1986-87	1,713	1,229	2,942
1987-88	1,658	1,301	2,959
1988-89	1,817	1,335	3,152
1989-90	2,275	1,402	3,677
1990-91	2,300	1,536	3,836
1991-92	2,447	1,710	4,157
1992-93	2,576	1,789	4,365
1993-94	2,649	1,995	4,644
1994-95	2,692	2,097	4,789
1995-96	2,707	2,242	4,949
1996-97	2,967	2,381	5,348
1997-98	2,950	2,438	5,388
1998-99	2,696	2,602	5,298
1999-00	2,852	2,823	5,675
2000-01	2,811	2,845	5,656
2001-02	2,830	3,126	5,956
2002-03	2,990	3,210	6,200
2003-04	2,941	3,458	6,399
2004-05	2,779	3,526	6,305
2005-06	2,816	3,756	6,572
2006-07	3,024	3,845	6,869
2007-08	2,920	4,207	7,127
2008-09	2,978	4,639	7,617
2009-10	2,689	4,862	7,551
2010-11	3,220	5,068	8,288

स्रोत:

1. डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबेंडरी, डेयरिंग एण्ड फिशरीज (2009), हैंड बुक ऑफ फिशरीज स्टेटिस्टिक्स, 2008ए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
2. डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबेंडरी, डेयरिंग एण्ड फिशरीज (2011), वार्षिक रिपोर्ट, 2010-11, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

4

निष्कर्ष और सुझाव

- केन्द्रीय मत्स्य मंत्रालय बनना चाहिए।
- नेशनल मेरीन फिशरीज पॉलिसी, जिसमें मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, इसमें सभी तटीय मछुआरा समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए।
- फिश लैंडिंग और माइनर फिशिंग हरबॉर्स केन्द्रों जैसी बुनियादी सुविधाओं में मछुआरा के संगठनों को लगाया जाना चाहिए। इनका उपयोग बड़ों के प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण में होना चाहिए। ड्रेजिंग की लागत राज्य सरकार को देनी चाहिए।
- इन संगठनों को तटीय सुरक्षा में शामिल करना चाहिए। इनमें नौसेना, तटरक्षक बल, मरीन पुलिस, स्थानीय पुलिस, राज्य प्रशासनिक अथॉरिटी, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, राज्य मत्स्य विभाग रहते हैं। समुद्र में सुरक्षा के लिए मछुआरे पहली कतार में होने चाहिए।
- राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे में जल संसाधन की योजना और प्रबंधन में मत्स्य के विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नदी घाटी विकास अथॉरिटी बहुस्तरीय संगठन होना चाहिए जो सिंचाई में विशेषज्ञता, कृषि, पीने का पानी, ऊर्जा, उद्योग, मत्स्य, मीट्रॉलॉजी, समाजविज्ञान और पर्यावरण का ध्यान रखा जाए।

कल्याण के उपाय - महिला

- मछली मारने वाली महिलाओं को साफ-सुथरी स्थितियों में प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के काम में लगाया जाना चाहिए।

- स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की जानी चाहिए।
- स्वयं सहायता समूहों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बजट का आवंटन करें।
- महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए पैकेज दिया जाना चाहिए।
- उन्हें संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। अतएव उनके लिए साफ-सुथरी स्थिति, दवाई और पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- महिलाओं के लिए मार्केटिंग को-ऑपरेटिव बने और नीलामी घर विशेष रूप से उन्हें दिये जाने चाहिए।
- चिकित्सा बीमा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

मछली बेचने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण मिले। तटों पर फैल रहा रासायनिक प्रदूषण चिंता का विषय है। ऐसा सुझाव है कि आर्गेनिक खेती जैसा प्रयास मत्स्य उद्योग में भी विकसित किया जाए, खासकर 'सुरक्षित मछली' बेचने के लिए।

कल्याण उपाय - सामान्य

- महत्व को देखते हुए बजटीय आवंटन।
- सक्रिय मछुआरों के समूह दुर्घटना बीमा, जिसमें दुर्घटना में मौत होने पर 1 से 5 लाख रुपये बीमा राशि मिले।
- कोल्ड स्टोरेज में मछली रखने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी बिजली पर मिले।
- गांवों में मछली पकड़ने, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायी जाए।
- जलनिकाय से मछली पर मछुआरों का अधिकार है और इसकी निगरानी राज्य का मत्स्य विभाग करे।
- मछली कचरा प्रबंधन के लिए छोटी और मध्यम यूनिट बने।
- एक्वा-प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग बोर्ड बने।

गांव

मछुआरा आवास योजना बढ़े बजट के साथ पूरे देश में लागू की जाए। यहां निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएं -

- पीने का पानी
- सपर्क सड़कें और उस पर बिजली लाईट
- चिकित्सा केन्द्र
- बर्फ कारखाने
- शैक्षिक संस्थान
- नाव लगाने की जगह और ईंधन
- सामुदायिक केन्द्र

मॉडल फिशिंग गांव में बंदरगाह, सड़क, बिजली, शैक्षिक संस्थान, बाजार और अन्य सुविधाएं जैसे कैप्चर, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग आदि का विकास हो।

फिशिंग हार्बर और बाजारों में स्वास्थ्य और साफ-सफाई

- साफ-सफाई से जुड़े नियम सबसे पहले हार्वर और लैंडिंग सेंटर में लागू किए जाएं। तटों को साफ रखने के काम में पंचायत को लगाया जाए। मछली को बचाने के लिए अमोनिया के प्रयोग पर पाबंदी लगे।

  बाजारों में प्रसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऊंची जगह बने ताकि मछली रखी जा सके। साफ पानी की व्यवस्था हो।
- सभी मछुआरों को मुफ्त में पहचान पत्र दिए जाएं। इनमें बायो मैट्रिक कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स हो सकते हैं। इसका जिम्मा राज्य मत्स्य विभाग को दिया जाए।

आंकड़ों का प्रबंधन

आंकड़े जमा करने, उन्हें जांचने और अपडेट करने के लिए राज्य मत्स्य विभाग के अन्तर्गत एक तंत्र बनाया जाए। इसके लिए कई जगहों से मदद ली जा सकती है।

0.1 से 20 एचए को तालाब, 21 से 200 एचए को टैंक माना जाए। इनकी समय-समय पर सफाई हो ताकि भंडारण क्षमता बनी रहे।

टैंकों और तालाबों में मछलियों की क्रिया के लिए पर्याप्त पानी होना चाहिए।

टैंक या तालाब	–	1 से 10 एचए	–	एफटीएल का 20% क्षेत्र
टैंक या तालाब	–	10 से 40 एचए	–	एफटीएल का 10–20% क्षेत्र
टैंक या तालाब	–	40 से 200 एचए	–	एफटीएल का 10% क्षेत्र

निर्यात

एनसीएपी, नई दिल्ली के एक अध्ययन के मुताबिक मछली निर्यात और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता वैश्विक बाजार में बनी हुई है। हालांकि इसका फायदा हालिया वर्षों में घटा है। विश्व व्यापार बढ़ने से भारत में मछली निर्यात में कई बाधाएं आ गई हैं। खाद्य सुरक्षा उपाय (एचएसीसीपी और एसपीएस मानक) भविष्य में अहम भूमिका अदा करेंगे। हालांकि इन उपायों से छोटे उद्योगों को हानि होगी। इन्हें बचाने के लिए सरकारी समर्थन की जरूरत है। छोटे उत्पादकों का नेटवर्क बनाने के लिए समुचित सांस्थानिक तंत्र बनाने की जरूरत है।

रोजगार

- पारम्परिक मछुआरे जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तटरक्षक बलों में शामिल कर लिए जाएं।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मत्स्य विभाग में पढ़े-लिखे मछुआरों को नौकरी में आरक्षण मिले।

ईंधन

- बीपीएल के अलावा सभी मछुआरों को डीजल में सब्सिडी मिले।
- राष्ट्रीय स्तर पर मशीनों से मछली पकड़ने का खर्च कुल आय का 86–90 प्रतिशत बैठता है।
- मोटरयुक्त नावों को भी सब्सिडी युक्त डीजल दिया जाए।

सब्सिडी

विश्व व्यापार संगठन की 2007 में हुई दोहा दौर की वार्ता में मत्स्य उद्योग के लिए सब्सिडी के नियमों में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव किये गये। इसमें बहुत भारी सब्सिडी पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की बात कही गई। वहीं विकासशील देशों को विशेष प्रोत्साहन पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें कहा गया कि सब्सिडी से 'टिकाऊपन' को जोड़ा जाए।

(1) विश्व व्यापार संगठन के नियमों में छोटे स्तर की मत्स्य उद्योग के लिए छूट। ऐसे नियमों की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन्हें लागू किया गया तो कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

(2) आर्टिस्नल फिशरीज को छोटे स्तर के मत्स्य पालन से अलग रखा जाए और विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

(3) सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारों को छोटे मछुआरों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उद्देश्य छोटे स्तर पर मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना होना चाहिए। सरकार पूंजी और लागत पर सब्सिडी देने के बजाए टिकाऊ मत्स्य अधिकारों को बढ़ावा दे। अगर लक्ष्य और प्रतिस्पर्धी पारंपरिक समुदाय को बचाना है तो सरकार को सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी देने की बजाए बदलाव की कोशिश करनी चाहिए।

पारम्परिक मछुआरा समुदाय को बचाना

- प्राकृतिक जलाशयों में मछली पकड़ने के इनके अधिकारों को मान्यता। राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में इसे दर्ज करना और इन्हें इनमें हिस्सेदार मानना।
- इन्हें कृत्रिम जलाशयों के लिए अधिकार प्रदान करना।
- पानी का उपयोग करने वाली सोसाइटी में इन्हें सदस्य बनाया जाना।

राज्य सरकारों के लिए सुझाव

- ताजे पानी में मत्स्य पालन से जुड़ी स्पष्ट नीति।
- एक्वेटिक भेजिटेशन को बढ़ावा देना।
- सतत् मछली पालन और मछलियों की बीमारी की रोकथाम के लिए रिसर्च।
- को-ऑपरेटिव सोसाइटी को ज्यादा उपयोगी बनाना और बाजार में मजबूत जुड़ाव और मजबूत सांगठनिक ढांचा बनाया जाए।
- स्पष्ट रूप से कहा जाए कि मछली और अन्य कृषि उत्पाद जैसे मखाना और सिंघाड़ा आदि पर मछुआरों का अधिकार है।
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़ा कानून हो।
- ताजे पानी के हर स्रोत के पास बीज उत्पादन यूनिट बने।
- मछली की स्थानीय प्रजातियों को बचाने के लिए मजबूत उपाय हो।

- मछुआरा समुदाय के पारंपरिक ज्ञान को सहेजकर रखना ताकि इसका उपयोग मत्स्य उद्योग के लिए हो सके।
- मत्स्य उद्योग वाले क्षेत्रों में मछली प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए।
- मछुआरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाए।

टिकाऊ उपयोग के लिए मत्स्य जैव विविधता को संरक्षण और प्रबंधन

- राज्य आरबीडीए को नदी/तालाब/जलाशयों में हर वर्ष 15 जून से 15 अगस्त तक प्रजनन के वक्त छुट्टी कर देनी चाहिए। इससे मछलियों की संख्या बढ़ने और किशोरावस्था में उन्हें पकड़ने की आशंका कम रहेगी। हाइड्रोलोजिक ढांचे में मछलियों को एक से दूसरी जगह जाने के हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए।
- ताजे पानी के स्रोत पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण पर पाबंदी होनी चाहिए।
- खतरे में पड़ी स्थानीय और आर्थिक रूप से अहम प्रजातियों को बचाने के लिए रिसर्च होना चाहिए।
- मछली उत्पादन को प्रभावित करने वाले और पारिस्थितिकी को खतरे में डालने वाले कार्यों की जांच के लिए राज्य मत्स्य अधिकारियों को मजिस्ट्रेटी अधिकारों से लैस किया जाए।
- आरबीडीए को घाटी क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता जांचने का जिम्मा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई का अधिकार दिया जाए।
- राज्यों द्वारा बीज को प्रमाणित करने वाली अथॉरिटी बनायी जाए। इसमें मत्स्य विभाग और रीसर्च संस्थाओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा जाए।

बायोमैट्रिक आई कार्ड : देश के अंदर सभी मछुआरों को राज्य मत्स्य विभाग द्वारा कार्ड दिए जाएं और इसका खर्च केन्द्र सरकार उठाए।

नदियों और नहरों में मत्स्य विभाग

- नदियों और नहरों में अनियंत्रित मछली पकड़ने से प्राकृतिक प्रजनन और मछली बीज तथा मछली की उपलब्धता पर असर पड़ता है। मछुआरों के अधिकारों को रिकार्ड किया जाए और पांच किमी. तक का नदी क्षेत्र मछुआरों को लीज पर दिया जाए।

- अगर नदी किनारे किसी जलविद्युत परियोजना की योजना बनायी जाती है तो मछुआरों की जीविका प्रभावित होने पर उन्हें मुआवजा दिया जाए।
- पेय जलाशय पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। यह राष्ट्रीय जैव विविधता, कानून, 2008 के अनुरूप भी है।
- नदी क्षेत्र के हर 200 किमी. पर हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन होना चाहिए ताकि नदी की जैव विविधता का पता लगाया जा सके। इससे नदी में प्रदूषण का स्तर भी मापा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी हो सकती है।
- राज्यों को नदी किनारे तालाब की गिनती भी करानी चाहिए। इनका संरक्षण भी होना चाहिए। इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और फिशरीज, को-ऑपरेटिव, स्थानीय पंचायत और गैर-सरकारी संगठन की मछली और दूसरी जैव विविधता को बचाने के लिए सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।
- दलदली जमीन, झील आदि को बचाने के लिए यहां सालाना 5 क्यूसेक पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

जलाशयों में मत्स्य पालन

- जलाशयों का वर्गीकरण छोटे (201 से 1000 एचए), मध्यम (1001 से 5000 एचए) और बड़े (5001 से अधिक एचए) के रूप में होना चाहिए। राज्य द्वारा पांच साल पर इनका सर्वेक्षण भी कराया जाना चाहिए। हाइड्रोलिक ढांचा ऐसा होना चाहिए कि मछलियों की आवा-जाही को बढ़ावा मिले। हाइड्रो-बायोलॉजिकल सर्वेक्षण हर साल होना चाहिए।
- जलाशयों में मत्स्य पालन के लिए बीज आउटलेट बनाने जरूरी हैं। इन्हें जलाशयों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। जलाशयों के निर्माण के साथ ही फार्म भी बनना चाहिए।
- जलाशयों की क्षमता के हिसाब से फिश लैंडिंग स्टेशन बनाए जाने चाहिए। मछली जल्दी खराब होने वाली चीज है, इसलिए सभी मौसम के लायक सड़कें बनाई जानी चाहिए। परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के वक्त ही सड़क के लिए भी जमीन ले लेनी चाहिए।
- परियोजना से प्रभावित होने वालों की को-ऑपरेटिव सोसाइटी को मछली पकड़ने का अधिकार मिलना चाहिए।

- तालाब को मत्स्य पालन के लिए पूरा उपयोग में लाना चाहिए।
- पीपीपी और राज्य मत्स्य विभाग के जरिए बीजों की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए।

दलदली जमीन और झीलों में मत्स्य पालन

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि दलदली जमीन और झील का संरक्षण होना चाहिए और नदियों से पानी आने के रास्ते को बंद नहीं किया जाना चाहिए। इससे जैव विविधता बनी रहती है, लेकिन ये जैविक रूप से संवेदनशील होते हैं। इनमें कई प्रकार के ताजे पानी के खाद्य पदार्थ और मछलियां रहती हैं। राज्य को मत्स्य, जल संसाधन और कृषि विभाग के बीच पर्याप्त समन्वय बनाकर रखना चाहिए ताकि इनका समन्वित विकास हो सके।

खारे पानी में मत्स्य का विकास

- औद्योगिक प्रदूषण और एक्वाकल्चर में रसायन के प्रयोग से खारे पानी की जगह खराब होती है। तटीय क्षेत्रों में मछली की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। झींगा और झींगा संस्कृति आर्थिक रूप से आकर्षक है और इसमें तटीय मछुआरे की आय बढ़ाने की क्षमता है।
- समुद्र में बहाए जाने वाले औद्योगिक कचरे के खिलाफ केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गंदे पानी को साफ करना अनिवार्य होना चाहिए।
- मैनग्रोव लगाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसमें तटीय लोगों, खास कर मछुआरा समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए।
- मछुआरों को मार्केटिंग में मदद मिलनी चाहिए।
- फिश हार्वेस्टिंग के लिए त्रि-स्तरीय को-ऑपरेटिव सिस्टम बनाया जाना चाहिए।

क्राफ्ट एवं गीयर – देश के भीतर मछली से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य को ड्राफ्ट और गियर के प्रयोग के बारे में बताना चाहिए।

कौशल विकास

- सभी शैक्षणिक संस्थान और राज्य/केन्द्रीय रिसर्च संस्थानों को अपने अध्ययन के बारे में को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए मछुआरों को बताना चाहिए। जल संसाधन, हवा की गति (जलाशयों के संबंध में), मछली बीज की उपलब्धता और उत्पादन के बारे में जानकारी को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए दी जानी चाहिए।
- मछली के बीज और उन्हें पालने के बारे में मछुआरों के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित किया जाना चाहिए।